कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका

आवश्यक उपाय

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

मार्गदर्शिका विषय वस्तु

1– कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन

2– बाढ़ पूर्व तैयारियाँ

3– बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव के आलोक में आवश्यक उपाय

4– बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाइयाँ

5– कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन की स्थिति का आकलन संबंधी चेकलिस्ट

6– विभिन्न विभागो द्वारा कोविड–19 के प्रकोप में बाढ़ आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में निर्गत दिशा. निर्देशो की प्रतिलिपि

कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में
बाढ़ आपदा प्रबंधन

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण है। जिसमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण है। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण जिलो में रहते है। अभी देश के अन्य राज्यो के साथ–साथ बिहार भी कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से त्रस्त है। सरकार द्वारा इस महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया जा रहा है तथा जनमानस को भी इस संबंध में विभिन्न एहतियात बरतने के लिए आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है। राज्य में अभी बाढ़ के मौसम तथा कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए किये जाने वाले विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के दौरान कोविड–19 के संक्रमण को न फैलने देने के संबंध में आवश्यक सावधानियॉ बरती जाय।

बिहार सरकार ने बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक "मानक संचालन प्रक्रिया" का निर्माण किया है जिसमें बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के पश्चात किये जाने वाली विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यो की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इसके साथ साथ इसमें गतिविधियों को संचालित करने वाले पदाधिकारी या विभाग/संस्था का भी उल्लेख है। लेकिन जैसा पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि कोविड–19 के मद्देनजर बाढ़ प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में दी गयी गतिविधियों में आवश्यक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य की बाढ़ विभीषिका के साथ साथ कोविड–19 की वैश्विक महामारी का ढृढ़ता से मुकाबला कर सकें। **प्रस्तुत दस्तावेज एक मार्गदर्शिका के रूप में पूर्व विद्यमान मानक संचालन प्रक्रिया के लिए एक परिशिष्ट (addendum) के तरह कार्य करेगा।** इस मार्गदर्शिका में बाढ़ के पूर्व, दौरान एवं बाढ़ के पश्चात बाढ़ प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में कार्यों को संपादित करते हुए कोविड–19 महामारी के संक्रमण को रोकने के उपायों को समाहित करने का प्रयास किया गया है।

1- बाढ़ पूर्व तैयारियाँ

1.1 बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की कोविड –19 के संदर्भ में पहचान करना

जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी बाढ़ ग्रस्त जिलों में उन गावों की पहचान करेगा जहां पर कोविड–19 संक्रमित लोग पाये गए हैं। कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के साथ–साथ उनके परिवारों की पहचान कर बाढ़ के समय निष्क्रमित करते समय ऐसे परिवारों के लिए विशेष व्यवस्था की जाय, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके तथा ऐसे संक्रमित/संभावित संक्रमित व्यक्तियों के विषय में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जायेगा ताकि उन्हें उचित सुविधा व सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

1.2 कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधनों की ससमय उपलब्धता

साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट, दस्ताने, थर्मल स्कैनर, सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित दवाएं आदि जिनका उपयोग नावों और राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए निष्क्रमण के दौरान किया जाये विशेषकर ऐसे स्थानो पर जहाँ संक्रमण की आशंका है। ऐसे आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त मात्रा में इन सामाग्री का खरीद करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाय।

1.3 जन जागरूकता

बाढ़ आने के पूर्व समुदाय स्तर पर कोविड–19 से बचाव हेतु जन–जागरूकता अभियान चलाया जाय। जिसमें ग्राम स्तरीय कर्मियों एवं समुदाय द्वारा बाढ़ के दौरान क्या–क्या सावधानियाँ (विशेषकर कोविड–19 के मद्देनजर) बरतनी हैं, किन नियमों का पालन करना है तथा क्या नहीं करना है आदि का प्रचार–प्रसार कराया जाय।

1.4 आबादी निष्क्रमण के लिए नावों की व्यवस्था

जिस प्रकार पूर्व में बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण के लिए नावों की व्यवस्था की जाती रही है उसमें कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुये कुछ और उपाय करने की आवश्यकता होगी, यथा–

- पूर्व में तैनाती की जाने वाली नावों की संख्या में (निष्क्रमण के दौरान दूरी बनाये रखने के लिये, स्थानीय स्तर पर आंकलन के अनुसार) डेढ़ या दो गुना की बढ़ोतरी
- नावों में सैनिटाइजर व मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित कराने संबंधी तैयारी करना।
- नाव में बैठाने के पूर्व थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था संबंधी तैयारी करना।
- नावों में बैठने के नियम का पालन करने के लिए नाव मालिकों व नाव चालकों का उन्मुखीकरण करना।
- नाव पर कोविड–19 के संदर्भ में पैम्पलेट पर बचाव संबंधी संदेश लिखवाकर बटवाया जाय।
- राहत शिविरों के लिए कोविड–19 के मद्देनजर आवश्यक दूरी बनाये रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त टेन्ट की व्यवस्था करने के लिए पूर्व तैयारी करना।

1.5 खोज, बचाव एवं राहत दलों का गठन

जिलों में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे– गोताखोरों का प्रशिक्षण, नाविको एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, कम्युनिटी वालंटियर्स का प्रशिक्षण, अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। जिला पुलिस तथा होमगार्ड्स के साथ–साथ इन प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की बाढ़ प्रबधंन में सेवाएं लेने से पूर्व कोविड–19 से बचाव संबंधी सावधानियों के विषय में उन्मुखीकरण कर शामिल किया जाय। राहत एवं बचाव दल में किसी की भी सेवा लेने से पहले उनका कोविड–19 के संक्रमण से बचाव उसके प्रसार को रोकने का उन्मुखीकरण या प्रशिक्षण दिया जाना महत्वपूर्ण होगा।

1.6 शरण स्थलों की पहचान

- वर्तमान परिस्थितियों में शरण स्थलों की पहचान सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगा क्योंकि कोविड–19 से बचाव के तरीकों के आलोक में पूर्व में निर्धारित जगहों कि अपेक्षा उससे बड़े आकार की जगहों अथवा 3-4 गुना ज्यादा स्थल चयन करना होगा। जिससे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के आधार पर उनके लिए जगह निर्धारित की जा सके।

- शरण स्थलों में पर्याप्त पानी, शौचालय, सैनिटाइज करने के लिए सामग्री व प्रशिक्षित व्यक्ति, पर्याप्त संख्या में साबुन मास्क आदि की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

- शरण स्थलों पर आईशोलेशन केंद्र भी स्थापित करने की योजना पूर्व से निर्धारित करनी होगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके।

- शरण स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था तथा उसके लिए प्रशिक्षित कर्मी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, साथ ही प्राथमिक उपचार हेतु उपयोगी दवाओं का भंडारण करना होगा।

- राहत केंद्र के लिए साफ एवं संक्रमण मुक्त उपयुक्त स्थान की पहचान करते समय, विशेष सावधानी बरतनी होगी।

- यदि चयनित शिविर के लिए जगह का उपयोग पूर्व में कोरेनटाइन केन्द्र के रूप के लिए किया जा रहा था, तो इसे ठीक से साफ एवं सेनेटाईज किया जाना आवश्यक होगा।

1.7 क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों का उन्मुखीकरण

क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की टीम में प्रतिनियुक्त सभी सदस्यों को कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु "क्या करें एवं क्या ना करें" के बारे में उन्मुखीकरण किया जायेगा, जिससे वे राहत शिविर के संचालन में सामुदायिक रसोई के कार्यान्वयन आदि कार्यों का पर्यवेक्षण निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कर सकें।

1.8 नोडल पदाधिकारी का नॉमिनेशन

जिस किसी को भी नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है उनका कोविड–19 के संक्रमण के बचाव के विषय में समुचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उन्हें अपनी जिम्मेवारियों की स्पष्ट जानकारी देने के साथ–साथ अनुश्रवण के सभी विंदुओं को format के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिये, जिससे वे अपने–अपने शरण स्थलों की निगरानी तदनुसार कर सकें।

1.9 आपातकालीन संचालन केन्द्र/ नियंत्रण कक्ष को कार्यरत करना

आपातकालीन संचालन केन्द्र /नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित कर्मियों/ पदाधिकारियों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी आवश्यक होगी। उनकी जिम्मेवारियों के आधार पर उनका रोटेशन पूर्व की अपेक्षा 8 घंटे के बजाय 6 घंटे का किया जा सकता है (यह प्रक्रिया कार्य के बोझ को देखते हुये जिला आपदा नोडल पदाधिकारी निर्णय ले सकते हैं)। आपातकालीन संचालन केन्द्र / नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों /पदाधिकारियों को कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम का समुचित प्रशिक्षण होना आवश्यक है एवं आपातकालीन संचालन केंद्र के पास कोविद –19 प्रभावित व्यक्तियो एवं क्षेत्रों तथा पीड़ितों का उचित रिकॉर्ड होना चाहिए।

1.10 संबंधित विभागों द्वारा आकस्मिक योजना का सूत्रण

सभी विभागों द्वारा अपने विभाग से संबन्धित बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिला स्तर पर आक्सिमक योजना कोविड–19 के खतरे को ध्यान में रखकर बनाई जायेगी। योजना के किसी भी चरण में यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं हो जिससे कोविड–19 के संक्रमण फैलने या उसके रोकथाम के उपाय अपनाने में समस्या हो या उसके लिए निर्धारित प्रोटोकाल का उलंघन होता हो।

1.11 समुदाय एवं अन्य साझेदारों (Stakeholder) का प्रशिक्षण

बाढ़ आपदा आने की स्थिति में समुदाय पहला रिस्पांडर होता है। अतएव आपदा प्रबंधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राहत,

खोज एवं बचाव कार्यों में समुदाय एवं अन्य साझेदारों की क्षमता निर्माण हेतु जो भी प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे उनमें कोविड–19 वैश्विक महामारी से संबंधित इससे बचाव एवं रोकथाम के नियमों को अनिवार्य रूप से बताना आवश्यक होगा। इन प्रशिक्षणों के आयोजन में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत सभी तरह की संस्थाओं (सरकारी, गैर–सरकारी, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं अन्य प्राधिकरण आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

जिला अधिकारियों के पास उन व्यक्तियों / स्वयंसेवकों / नाव मालिकों /नावों / तैराकों आदि की सूची होनी चाहिए जिन्हें बीएसडीएमए या आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें बाढ़–बचाव, राहत के दौरान एवं बाढ़ के पश्चात पुनर्वास कार्यो में उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। उन्हें कोविड– 19 में बचाव संबंधी क्या करना है और क्या नहीं करना है तथा अन्य सावधानियों के बारे में उन्मुखित होना चाहिए। उन्हें समुदाय के बीच बाढ से बचाव के साथ–साथ कोविड–19 महामारी से बचाव के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदारियां भी दी जानी चाहिए।

2- बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव के आलोक में आवश्यक उपाय

2.1 प्रभावित क्षत्रों में नावों का परिनियोजन (Deployment)

यदि बाढ़ की स्थिति गंभीर है एवं आवागमन की समस्या उत्पन्न हुई हो तो प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना के अनुसार नावों का परिनियोजन (Deployment) किया जाएगा।

- बचाव करते समय आवश्यक दूरी बनाने के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त संख्या में नावों का परिनियोजन किया जाय।
- प्रत्येक यात्रा के बाद नाव की सफाई एवं सैनेटाईज के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाय।
- प्रत्येक नाव पर अन्य उपकरणो के साथ–साथ मास्क, थर्मल स्कैनर एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। NDRF/SDRF बचाव दल के पदाधिकारी, जवान तथा स्वयंसेवकों के लिए कोविड–19 के संदर्भ में व्यक्तिगत सुरक्षा सबंधी सभी उपक्रम उपलब्ध कराये जायें।
- प्रत्येक नाव के साथ वहाँ के कोविड–19 से प्रभावित लोगों की सूची एवं पता उपलब्ध कराया जाय।

2.2 शरण स्थलों/राहत शिविरों को पूर्व में चिन्हित करना

यदि शरण स्थलों पर उचित स्थान की कमी होती है तो कोविड–19 के संदर्भ में सुरक्षित दुरी अपनाने हेतु अतिरिक्त स्थल का चयन किया जाय अथवा टेन्ट की व्यवस्था की जाय तथा इसे संचालित करते वहाँ स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा टेन्टों को लगाने संबंधी निम्न सावधानियॉ बरती जाय।

- प्रति व्यक्ति के लिए 7 वर्ग मीटर का स्थान चिन्हित किया जाये।
- दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम एक मीटर की दूरी होनी चाहिए।
- यदि राहत शिविर/शरण स्थलों के लिए टेंट उपयोग किया जाता है तो 2 टेंट के बीच न्यूनतम 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
- सफाईकर्मियों के लिए मास्क, स्प्रे मशीन और केमिकल्स उपलब्ध कराना होगा।

रिलीफ कैम्प में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय से अनुसंशित उपायों का प्रचार प्रसार किया जाय जो निम्नवत हैः–

सामान्य उपाय

- पूरे दिन गर्म पानी पिएं।
- कम से कम 30 मिनट के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान का दैनिक अभ्यास आयुष मंत्रालय के सलाह के अनुसार करें।
- मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया और खाना पकाने में लहसुन का उपयोग करें।

आयुर्वेदिक इम्युनिटी को बढ़ावा देने के उपाय

- सुबह च्यवनप्राश 10 ग्राम लें, मधुमेह रोगियों को चीनी मुक्त च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए।
- तुलसी, दालचीनी, कालीमिर्च, शुंठी और मुनक्का से बनी हर्बल चाय या काढ़ा पिएं तथा किशमिश, गुड़ दिन में एक या दो बार सेवन करें।

सरल आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं

- नाक का अनुप्रयोग – सुबह और शाम नाक के दोनों छिद्र में तिल का तेल या नारियल का तेल या घी लगाएँ।
- गर्म पानी से कुल्लाः– यह दिन में एक या दो बार किया जा सकता है।

•सूखी खांसी / गले में खराश के दौरान

- ताजा पुदीना के पत्तों या अजवाईन के साथ भाप से साँस लेना दिन में एक बार अभ्यास किया जा सकता है।
- खांसी, गले में जलन के मामले में दिन में एक बार लवंग पाउडर को प्राकृतिक चीनी / शहद के साथ मिलाकर 2-3 बार ले सकते हैं।

2.3 शौचालय सुविधा

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर आबादी/शिविर की क्षमता के अनुपात में पर्याप्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

2.4 सफाई एवं स्वच्छता की सुविधा

- पर्याप्त मात्रा में हैंड वाश/साबुन, सैनिटाईजर, मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
- राहत शिविरों में थूकने की मनाही होगी तथा इस पर जुर्माने का प्रावधान हो।
- राहत कैम्प के अंदर कोविड–19 के प्रसार को रोकने संबंधी एवं सुरक्षा उपायों के संदर्भ में पोस्टर्स एवं प्लै कार्ड प्रदर्शित किये जाय।
- राहत शिविरों धूम्रपान/ तम्बाकू/पान/सुरती आदि रहित होगा तथा इसका अनुपालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।
- प्रत्येक शिविर में हाथ धोने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित दूरी पर व्यवस्था की जायेगी। इसमें साबुन एवं पानी उपलब्ध कराया जायेगा। यह शिविर के प्रवेश एवं निकास द्वार के समीप होगा।
- आम स्थानों की सफाई दिन में तीन बार सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें विशेषकर दरवाजे की कुंडी, दरवाजे, स्विच आदि पर ध्यान देना आवश्यक होगा। जिन्हें अक्सर छुआ जाता है।
- शिविर में पर्याप्त मात्रा में कीटाणुनाशक उपलब्ध कराये जायेंगे।
- मच्छरों के नियंत्रण हेतु भी उपाय एवं मच्छरदानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

2.5 चिकित्सा सहायता एवं स्वास्थ्य निगरानी टीमः–

- स्वास्थ्य टीम द्वारा प्रत्येक शिविर में दैनिक निगरानी की जायेंगी।
- थर्मल स्कैनर के साथ स्वास्थ्य निगरानी टीम के पास पी. पी. ई. किट होने चाहिए।
- प्रत्येक राहत शिविर में आवश्यकता अनुसार थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराना होगा।
- राहत शिविर में लोगों को लाने के समय ही स्क्रीनिंग करना होगा। पंजीकरण के समय स्क्रीनिंग किया जायेगा।
- संक्रमित लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जानी होगी।
- परिवहन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जायेंगी।
- छीकने, खांसी, बुखार और सामान्य सर्दी के पेशेंट की तत्काल चिकित्सा जॉच की जायेगी।
- कोविड–19 के मामले में मरीजों को अलग रखा जायेगा।
- कैम्प में Quarantine/Isolation सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।
- यदि आवश्यक हो, तो संक्रमित/पहचाने गये व्यक्तियों को जिला प्रशासन पूर्व में ही Quarantine/Isolation सेन्टर में रखेगा।
- बुजुर्ग, गर्भवती महिला और निशक्त लोगों के लिए विशेष आवास सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।
- शिविर के अंदर मास्क अथवा साफ गमछों से नाक और मुंह ढ़कना अनिवार्य किया जायेगा।
- शिविर में आशा कार्यकर्त्ता चिकित्सा राहत केन्द्र में जागरूकता और संवेदीकरण करेंगी।
- मृत शवों को निष्पादन के लिए लिकेज प्रूफ डेड बॉडी बैग की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जायेगी।
- मास्क एवं लीकेज प्रूफ डेड बॉडी बैग की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा सकती हैं।
- शिविर में स्वच्छता बनाये रखने में लिए पर्याप्त मात्रा में Disinfectants (किटाणुनाशक) उपलब्ध कराया जायेगा।

2.6 कृषि एवं पशुपालन गतिविधियाँः–

- जिला कृषि पदाधिकारी वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप आकस्मिक फसल योजना में कोविड–19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देशो का पालन करेगें।
- कृषि प्रक्षेत्रो एवं पंचायतो में धान के बिचड़े हेतु सामुदायिक नर्सरी विकसीत करते हुए कोविड–19 महामारी से बचाव संबंधी क्षेत्र के किसानों के लिए नर्सरी पर आकस्मिकता से निपटने हेतु तकनीकी अनुशंसाए दिया जाना।
- क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों के वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केन्द्रो के वैज्ञानिको से अविलम्ब विमर्श कर कोविड–19 प्रभावित विशेष क्षेत्र हेतु आकस्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में फसल योजना तैयार किया जाय।
- बुआई एव अन्य कृषि कार्य सम्पादित करते हुये करते समय कोविड–19 के अन्तर्गत भौतिक दूरी व हाथो की साफ–सफाई करना होगा।
- पशुपालन विभाग के ज्ञापांक संख्या– 8 आपदा/12/01/2020 –1669 (वि) दिनांक 02.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन संभावित बाढ़–2020 के पूर्व, दौरान एवं उपरान्त को. विड–19 प्रभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु राहत कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित कराया जाय।
- कोविड–19 प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने की स्थिति में चयनित केन्द्रों पर उपलब्ध कर्मीयों की संख्या कम हो तो गैर बाढ़ प्रभा. वित क्षेत्रों से कर्मीयों की प्रतिनियुक्ति व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- चारा दाना, पशु दवा/टीका औषधियों की व्यवस्था हेतु भण्डारण एवं चयनित शरण स्थलों पर पशु चिकित्सा शिविरों में भौतिक दूरी व साफ–सफाई का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- विषम परिस्थितियों में नियन्त्रण कक्ष पालीवार पद्धति पर दिन व रात में संचालन हेतु भौतिक दूरी व साफ सफाई संबंधी अनुपालन

2.7 खाद्य भंडारण एवं वितरण

- राहत शिविरों में लाया गया कोई भी खाद्य पदार्थ कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल के अनुसार उचित रूप से साफ किया जायेगा।
- कोविड–19 मानदंडों और विनियमों के अनुसार पके हुए भोजन के वितरण के समय भी जरूरी एहतियात बरतनी होगी।
- किचन एवं फूड स्टोरेज एरिया को रोजाना तीन बार सैनिटाईज किया जायेगा।
- इस संबंध में कैंप इंचार्ज/फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा शिविरों में लोगों को जागरूक किया जायेगा।
- पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
- प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली दवाइयां या काढ़ा एवं पोषक तत्वों को शामिल किया जायेगा।
- वितरण करने वाले दलों के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क, हैंड सैनिटाईजर, ग्लब्स तथा साबुन अवश्य होनी चाहिये।

2.8 अपशिष्ट प्रबंधन

- प्रयुक्त अपशिष्ट वस्तुओं के निपटान के लिए सभी शिविरों में अलग–अलग रंगों के बंद डिब्बे होने चाहिए।
- पीपीई किट व मास्क के निपटान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश का पालन किया जायेगा।
- कीटाणुनाशक का पर्याप्त स्टॉक शिविरों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे बच्चों से सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना होगा।
- शिविर को स्वच्छ रखने के लिए नामित स्वच्छता कार्यकर्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

2.9 तटबंधों पर सुरक्षा

- बाढ़ की अवधि में तटबंधों पर आश्रय लेने वाले परिवारों को हाथ को धोने के लिए साबुन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- उन्हें दिन में कई बार हाथ धोने के लिए जागरूक करने की भी आवश्यकता होगी।
- तटबंधों पर एक जगह पर इकठ्ठे हुए लोगों को मुँह पर मास्क/ गमछा लगाने और आपस में उचित दूरी रखने के लिए जागरूक करना होगा।
- बाढ़ अवधि में तटबंधों की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं को थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण उपलब्ध करायी जाय और बाढ़ पीड़ितों की जांच की भी जिम्मेदारी उन्हें दी जानी चाहिए ताकि बीमार को ससमय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सके और कोविड–19 के संक्रमण को फैलने से रोकने मे मदद हो सके।
- उपरोक्त बिंदुओं का पालन बाढ़ पीड़ितों के लिए चल रहे कम्यूनिटी किचन में भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लागू करना जरूरी होगा।
- जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों पर कराये जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के दौरान सभी मजदूरों, संवेदकों एवं विभागीय पदाधिकारियों की स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाय।
- तटबंधों पर निगरानी के लिए लगाए गए कैम्पों में भी उर्पयुक्त निदेशों का पालन होना चाहिए।
- स्थल पर मास्क लगा कर एवं जहाँ तक संभव हो भौतिक दूरी बनाकर रहना अनिवार्य किया जाय।
- स्थल निरीक्षण के लिए दौरा करने वाले पदाधिकारियों को भी उर्पयुक्त सभी ऐहतियात बरतना जरूरी किया जाय।
- लघु जल संसाधन विभाग के अधीन सिंचाई एवं नलकूप सिंचाई योजनाओं के कार्यों/निरीक्षण में भी उर्पयुक्त निदेशों का सख्ती से पालन किया जाय।

इसके अतिरिक्त बाढ़ के दौरान जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से पर्याप्त दवाइयों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेल्थ सेंटर की स्थापना सुनिश्चित की जाए जहां कोविड–19 संक्रमितों के isolation की व्यवस्था रहे।

2.11 खोज बचाव एवं राहत दल

- बाढ़ के समय कोविड–19 महामारी से संबंधित क्षेत्र व व्यक्तियों के बीच खोज–बचाव कार्य हेतु विशेष तैयारी व प्रशिक्षण हेतु संबंधित संस्था/विभाग द्वारा दिशानिर्देशों जारी की जाय।
- बचाव दलों की तैनाती के समय स्वास्थ्य विभाग व आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन की जाय।
- बचाव दलों/कर्मीयों को और उनके संसाधनों को संक्रमण मुक्त किये जाने संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
- बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जो कोविड–19 से प्रभावित है वहाँ भौतिक दूरी एवं सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया में सावधानियों को अपनाते हुए खोज बचाव का कार्य किया जाय।
- बचाव कार्य में नावों पर लोगों को विस्थापित किये जाने से पूर्व एंव बाद में नावो को संक्रमण मुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- कोविड–19 प्रभावित क्षेत्रों में CPR संबंधित मुँह से मुँह में साँस देने की विधि बचाव कर्मी नहीं करेगें। इसके लिए उन क्षेत्रों में बचावकर्मी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के साथ आक्सीजन सिलेण्डर का उपयोग कर कृत्रिम साँस देने की प्रक्रिया अपनायी जाय।
- समुदाय के लोगो को बचाव या आबादी निष्क्रमण के समय भौतिक दूरी का पालन करते हुए बोट की क्षमता से आधे लोगो को ले जाना, इन्फ्रारेड थर्मामीटर से स्वास्थ्य की जाँच एवं बोट को संक्रमण मुक्त किया जाना सुनिश्चित करेगें।
- बचाव टीम द्वारा मृतक शरीर को बोट से ले जाने हेतु Leak proof dead body bag/प्लास्टिक सीट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- कोविड–19 संक्रमित संभावित व्यक्ति को बोट से लाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशो के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग टीम के साथ बचाव कर्मी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के साथ सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

2.12 निर्माण संबधी गतिविधियाँ

- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर कोविड–19 संक्रमित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील पुलो व सड़कों पर गश्ती दलों में भौतिक दूरी अपनाते हुए मरम्मति या निर्माण करते हुये सुरक्षा एव भौतिक दुरी के नियमो का पालन किया जाय।
- संभावित आपदा क्षेत्रों में परिवहन, अनुरक्षण संयत्रों, उपकरणों आदि को संक्रमण मुक्त कर प्रतिष्ठानों में भेजना सुनिश्चित किया जाय।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क बाधित होने पर वैकल्पिक सड़कों के माध्यम से परिवहन हेतु संक्रमण मुक्त साधनों का उपयोग किया जाय।

3- बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाइयाँ

जहां बाढ़ के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया एवं राहत की आवश्यकता पड़ती है, वहीं बाढ़ के पश्चात दीर्घकालीन साहाय्य, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्य महत्वपूर्ण हो जाते है। इस वर्ष आगामी बाढ़ की संभावनाओ के दृष्टिगत एवं कोविड– 19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण बाढ़ की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने के लिये बाढ़ के पश्चात निम्न कार्रवाईयॉ कोविड– 19 के संदर्भ में अपेक्षित होगी।

3.1 कृषि गतिविधियाँ

- कोविड–19 लॉक डाउन के दौरान, किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खरीफ की फसल के मौसम को ध्यान में रखते हुए बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि सहित किसानों को अन्य कृषि इनपुट ससमय प्राप्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन किसानों को सभी कृषि अनुदानों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा, ताकि खरीफ फसल रोपण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
- किसानों को समय–समय पर उनकी कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों को अनुदान दिया जा सकता है।

कोविड–19 लॉकडाउन अंतर्गत प्रभावित कृषकों को फसलों की क्षति के लिए कृषि निदेशालय के ज्ञापांक 2202 दिनांक 22.05.2020 के अनुसार कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन मे प्राथमिकता दिया जाये यह अनुदान राज्य सरकार स्थानीय आपदाओ के अधीन निर्धारित साहाय्य मापदंडों के अनुरूप https:// dbtagriculture.bihar.gov.in ऑनलाईन पंजीकरण कर, कृषक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.2 खरीफ की फसल के लिए राज्य के कृषकों को कृषि कार्य संपादन करते हुए करोना संक्रमण से बचने हेतु उपाय

- खरीफ फसल की बुवाई करते समय खेत में एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखी जाय। लोगों को जानकारी दिया जाय कि संक्रमण रोकने के लिए समाजिक दूरी ही सबसे उपयोगी हथियार है।
- हर व्यक्ति अपने खाने का बर्तन अलग–अलग रखें तथा खाना खाने के बाद इसे अच्छी तरह धो लें। पीने के पानी की बोतल या बर्तन भी अलग–अलग रखें। प्रत्येक व्यक्ति अलग– अलग कटाई उपकरण का उपयोग करें।
- खरीफ फसल की बुवाई के दौरान कुछ कुछ समय पश्चात साबुन से अच्छी तरह हाथ धोते रहें।
- खरीफ फसल की बुवाई के समय पहने गए कपड़ों का दोबारा उपयोग, धोने के बाद, अच्छी तरह धूप में सुखा कर ही करें।
- खरीफ फसल की बुवाई के समय नाक एवं मुँह को ढकने के लिए साफ मास्क या गमछे का उपयोग करें। जीविका समूह के द्वारा तैयार मास्क का उपयोग किया जा सकता है।
- अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, सरदर्द, बुखार के लक्षण हों तो उन्हें कदापि कृषि कार्य में नहीं लगायें तथा बीमार व्यक्ति की सूचना निकट के स्वास्थ्य कर्मी को दें।
- लोगों में प्रचार–प्रसार करें कि सावधानी ही कोविड–19 (करोना) के संक्रमण से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करें।

3.3 क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनस्थापन/पुनर्निर्माण

- बाढ़ के पश्चात आधारभूत संरचनाओ के त्वरित पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण में सवेदकों/ ठेकेदारों द्वारा श्रम कानून संबंधी "**भवन निर्माण कार्य और अन्य निर्माण कार्य अधिनियम**" के अंतर्गत श्रमिकों को कोविड–19 के संदर्भ में उचित दूरी एवं बचाव संबंधी उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- श्रमिक शिविर की स्थापना में उचित दूरी तथा उनके व्यक्तिगत सुर क्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, जूते, दस्ताने, चश्मे के साथ–साथ मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- प्राथमिक चिकित्सा किट एवं कोविड–19 के रोकथाम के लिए उपयोग कि गयी प्राथमिकता चिकित्सा कीट एवं अन्य सामग्री के निपटान के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया जाय।
- परियोजना स्थल से बच्चों को दूर रखने एवं पाँच से अधिक महिला श्रमिक होने पर उनके बच्चों के लिये क्रेच (शिशु गृह) की सुविधा उचित साफ सफाई के साथ उपलब्ध कराई जाय।
- अलग रसोई के साथ उचित स्थान पर श्रमिक शिविर एवं वहाँ स्वच्छ शौचालय और स्नानघर (महिला व पुरुष हेतु अलग–अलग) की सुविधा प्रदान की जाय।

3.4 राहत वितरण

कोविड – 19 मानदंडों और नियमों के अनुसार एहतियाती उपायों का पालन करते हुए बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए खाद्यान्न वितरण तथा नगद भुगतान के साथ साथ यदि जरूरत है तो मास्क, हाथों की साफ–सफाई के लिए साबुन/ सेनेटाइजर एवं घरो के साफ–सफाई हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि का आवश्यकतानुसार वितरण किया जाय।

कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन की स्थिति का आकलन संबंधी चेकलिस्ट

क्रम	गतिविधियाँ	अद्यतन स्थिति
बाढ़ पूर्व तैयारियाँ		
1	बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की कोविड –19 के संदर्भ में पहचान।	
2	साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट, दस्ताने, थर्मल स्कैनर, सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित दवाएं आदि जिनका उपयोग नावों और राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर बचाव के दौरान किया जाता है पर्याप्त मात्रा में खरीद करने के लिए आवश्यक व्यवस्था।	
3	कोविड–19 के खतरे को भी ध्यान में रखकर बाढ़ आपदा प्रबंधन की जिला स्तर पर योजना में यथोचित सुधार।	
4	बाढ़ आने के पूर्व समुदाय स्तर पर कोविड–19 से बचाव हेतु जन–जागरूकता अभियान।	
5	आबादी निष्क्रमण के लिए नावों की समुचित व्यवस्था ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।	
6	कोविड–19 के संदर्भ में नावों पर सुरक्षा उपायो आदि की व्यवस्था ।	
7	बाढ़ बचाव संबंधी प्रशिक्षित विभिन्न सामुदायिक स्वयं सेवकों, जिला पुलिस तथा होमगार्ड्स के साथ–साथ प्रशिक्षित स्वयं सेवकों का कोविड–19 के बारे में उन्मुखीकरण।	
8	कोविड–19 के संदर्भ में आपेक्षित एवं समुचित शरण स्थलों की पहचान।	
9	शरण स्थलों में पर्याप्त पानी, शौचालय, सैनिटाइज करने के लिए सामग्री व थर्मल स्कैनिंग तथा इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की व्यवस्था।	
10	क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति व नोडल पदाधिकारी का नॉमिनेशन की (कोविड–19 के संदर्भ में)	

कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन की स्थिति का आकलन संबंधी चेकलिस्ट

बाढ़ के दौरान		अद्यतन स्थिति
11	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना के अनुसार पर्याप्त संख्या में नावों का परिनियोजन (Deployment)	
12	कोविड–19 के संदर्भ में आवश्यक परिवहन व्यवस्था के लिए तंत्र व साफ सफाई की व्यवस्था	
13	नाव पर मास्क, थर्मल स्कैनर एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता व साफ सफाई हेतु व्यवस्था	
14	कोविड–19 के संदर्भ में उचित दूरी अपनाते हुये अतिरिक्त राहत शिविरों/ टेंटों की व्यवस्था व स्थलों को चिन्हित किया जाना	
15	राहत कैम्प के अंदर कोविड–19 के प्रसार को रोकने संबंधी एवं सुरक्षा उपायों के संदर्भ में पोस्टर्स एवं प्लै कार्ड का प्रदर्शन	
16	राहत कैम्प के अंदर कोविड–19 के प्रसार को रोकने संबंधी सुरक्षा उपाय।	
17	शिविर में पर्याप्त मात्रा में कीटाणुनाशक की व्यवस्था	
18	कोविड–19 के संदर्भ में राहत कैम्प के अंदर चिकित्सा सहायता एवं स्वास्थ्य निगरानी टीम	
19	आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिविर में स्वास्थ्य संबंधी किए जाने वाले विशेष इंतजाम।	
20	राहत शिविरों में लाया गया कोई भी खाद्य पदार्थ की कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था।	
21	शिविर को स्वच्छ रखने के लिए नामित स्वच्छता कार्यकर्ता एवं कुड़े/शवों के निपटान की समुचित व्यवस्था।	
22	तटबंधों पर आश्रय लेने वाले परिवारों के लिए कोविड–19 के संदर्भ में सुरक्षा उपाय व आवश्यक चिकित्सा सुविधा	

कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन की स्थिति का आकलन संबंधी चेकलिस्ट

बाढ़ के पश्चात		अद्यतन स्थिति
23	खाद्यान्न वितरण तथा नगद भुगतान के साथ कोविड – 19 के मानदंडों और नियमों के अनुसार बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए मास्क, हाथो की साफ सफाई सबन्धित साबुन/ सेनेटाइजर एवं घरो के साफ सफाई हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि वितरण।	
24	खरीफ की फसल के मौसम को ध्यान में रखते हुए बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि सहित कृषि इनपुट की व्यवस्था।	
25	राज्य के कृषकों को कृषि कार्य में करोना संक्रमण से बचने हेतु उपायों की जन जागरूकता की व्यवस्था।	
26	पुनर्निर्माण में सवेदकों/ ठेकेदारो द्वारा श्रम कानून संबंधी **भवन निर्माण कार्य और अन्य निर्माण कार्य अधिनियम की धारा** 32 से 35 के अंतर्गत श्रमिकों को कोविड–19 के संदर्भ में उचित दूरी एवं बचाव संबंधी उपायो का क्रियान्वयन	
27	कोविड–19 के संदर्भ में शिविर को बंद किए जाने पर नामित शिविर (विशेषकर स्कूल)/संसाधनों की साफ सफाई व सेनेटाइजेशन की व्यवस्था	

विभिन्न विभागो द्वारा कोविड–19 के प्रकोप में बाढ़ आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में निर्गत दिशानिर्देशो की प्रतिलिपि

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–12 / 2020 / 2317 / आ0प्र0, पटना–23 दिनांक– 11.06.2020

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:– **कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में संभावित बाढ़ के कारण आबादी निष्क्रमण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंग:– **विभागीय पत्रांक–1997 दिनांक–18.05.2020।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाए जिसके द्वारा आगामी मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़ के दृष्टिकोण से की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कहना है कि वर्त्तमान **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण** से बचाव व रोकथाम के उद्देश्य से बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। अतएव इस संबंध में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:–

1. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पूर्व से ही संकटग्रस्त (Vulnerable) समूहों जैसे–वृद्धजन, दिव्यांगजन, बच्चे, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं की पहचान कर ली जाए ताकि बाढ़ आने की स्थिति में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
2. गाँवों में **मास्क** (Mask) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को इसकी जवाबदेही दी जाए।
3. जलप्लावित क्षेत्रों से बाढ़ पीड़ितों को पूर्व से चिह्नित बाढ़ शरण स्थल / राहत शिविर अथवा अन्य सुरक्षित स्थानों तक लाने के दौरान **सोशल डिस्टेंसिंग** का यथासंभव पालन किया जाए। इसके लिए नावों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।
4. नावों / मोटरबोटों को आवश्यकतानुसार **सैनिटाईज** कराया जाए।
5. बाढ़ के दौरान अगम्य (Inaccessible) क्षेत्रों में बहुधा भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री / फूड पैकेट का एयर ड्रॉपिंग करवाया जाता है। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि गिराए जाने वाले किसी भी पैकेट का वजन 10 कि०ग्रा० से अधिक न हो।

विश्वासभाजन

11/6

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–12 / 2020 / 2317 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 11.06.2020

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

11/6

E:\2020\Ajay Sir\बाढ़\Pre-Monsoon Preparation Abaadi Nishkraman (10-06-2020).doc

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01/प्रा0आ0(बाढ़)–12/2020/ 2316 /आ0प्र0, पटना–23 दिनांक– 11.06.2020

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ शरण स्थल में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1997 दिनांक–18.05.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाए जिसके द्वारा आगामी मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़ के दृष्टिकोण से विभिन्न तैयारियों के साथ ही बाढ़ शरण स्थलों में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कहना है कि वर्त्तमान **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण** से बचाव व रोकथाम के उद्देश्य से बाढ़ शरण स्थलों में विभिन्न सुरक्षात्मक व निरोधात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी। अतएव कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ शरण स्थलों में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः–

1. कोविड–19 के आलोक में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गत वर्ष की अपेक्षा अधिक संख्या में बाढ़ राहत शिविरों को चिन्हित करने की आवश्यकता होगी। अतएव अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बाढ़ शरण स्थलों को चिन्हित किया जाए।
2. संक्रमण से बचाव हेतु बाढ़ शरण स्थलों पर संकटग्रस्त (Vulnerable) समूहों जैसे–वृद्धजन, दिव्यांगजन, बच्चे, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं के लिए अलग अनुभाग/भवन खण्ड (Section/Block) की समुचित व्यवस्था की जाए।
3. बाढ़ शरण स्थलों में Medical Screening एवं पर्याप्त संख्या में Thermal Scanner की व्यवस्था की जाए।
4. Medical Screening के पश्चात asymptomatic पाए गए व्यक्तियों को ही बाढ़ शरण स्थल में आवासन की अनुमति दी जाए। Symptomatic पाए गए व्यक्तियों को Health Quarantine Center में भेजने की व्यवस्था की जाए, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
5. Health Quarantine Center बाढ़ शरण स्थल से यथासंभव सुरक्षित दूरी पर बनाई जाए जिससे कि संक्रमण फैलने का जोखिम न्यून रहे।

विश्वासभाजन

10/6

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा0आ0(बाढ़)–12/2020/ 2316/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 11.06.2020

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (II) व^{2}–71/2010/ 1614 /पटना, दिनांक– 19/6/20

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक(प्र०),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलटेकनिक संस्थान/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान

विषय – **सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में करोना वायरस संकमण एवं बाढ़ पूर्व तैयारीयो से संबन्धित प्रबन्धन एवं राहत कार्य करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रांसगित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि कोरोना वायरस महामारी का राज्य के सभी जिलों में प्रकोप व्यापक होता जारहा है। राज्य में मानसून सक्रिय होने में बहुत की कम समय बचा हुआ है। इन्ही परिस्थियों को घ्यान में रखते हुये जिलों के सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में कोरोना संक्रमण के खतरो को घ्यान में रखते हुये बाढ़ पूर्व तैयारी एवं इसके बाद के प्रभावो को कम करने के लिये तैयारी करने की आवश्यकता होगी, इस सन्दर्भ में दिशा निर्देश अंकित किये जा रहे है। इसके साथ ही वर्तमान में कुछ जिलो के संस्थानों को कोरोना कोरेण्टाईन सेन्टर के रूप में उपयोग किया गया। उन संस्थानो पर पुनः शैक्षणिक कार्य आरम्भ करने से पूर्व उन्हे विसंक्रमित करने हेतु भी दिशा–निर्देश भी पत्र के साथ अंकित किये जा रहे है।

संभावित बाढ़ से प्रभावित होनेवाले सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान हेतु निदेश

1. बाढ़ से प्रभावित होनेवाले संभावित सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान की सूची तैयार की जाए एवं उस संस्थान के प्राचार्यों को बाढ़ से उत्पन्न होनेवाली स्थिति से निपटने हेतु पूर्व की तैयारी सुनिश्चित करा लिया जाए।
2. संभावित रूप से प्रभावित होनेवाले सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के दस्तावेज, अलमारियाँ, डेस्क–बेंच, नक्शें, पठन सामग्रियाँ, उपकरणों एवं उपस्करों आदि को बाढ़ के पानी से सुरक्षित कर लिया जाए।

3. सभी शिक्षको एवं छात्रों को बाढ़ के दौरान "क्या करें"/ "क्या न करें" संबंधी जानकारी कोरोना संकमण को ध्यान में रखते हुये सामाजिक दूरी के साथ दिया जाए।
4. बाढ़ से बचाव एवं पूर्व तैयारी संबंधी जानकारी बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बेवसाईट पर उपलब्ध संदर्भ पुस्तिका से प्रसंग लिया जा सकता है।
5. बाढ़ के दौरान दिव्यांग छात्रों पर भी विशेष ध्यान रखा जाए।
6. सभी संबंधित को बाढ़ के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये कार्य करने हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए।
7. बाढ़ दौरान सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के वैसे छात्रों जो राहत शिविर में होते है उनके सुरक्षा, संरक्षा, शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा एवं मानसिक आघात् (मेन्टल ट्रॉमा) को ध्यान में रखते हुए राहत शिविरों में तैनात शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ करायी जाए। साथ ही छात्रों के भोजन, आवासन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, साफ–सफाई एवं स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जाए।
8. राहत शिविरो में रहने वाले सभी छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वे सभी उपाय किये जाये जो कोरोना वायरस से बचाव के लिये बताये गये है यथा– सामाजिक दूरी या व्यक्ति से व्यक्ति की दो गज की दूरी, सभी लोग अपना मुँह एव नाक गमछा/रूमाल/दुपट्टा से ढ़ँक कर रखें या मास्क का उपयोग करें। किसी को बुखार या खाँसी होने पर उसे अलग जगह पर रहने का प्रबन्ध करें एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। यह भी ध्यान रख जाय कि लोग कुछ–कुछ अन्तराल पर हाथों को साबुन –पानी से धोते रह तथा यंत्र–तंत्र न थुकें।
9. यदि कोई अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों बाढ़ से प्रभावित होता है तो वहाँ पर संचालित छात्रावास के छात्रों को सुरक्षित उनके घर पर पहुँचाने की समुचित व्यवस्था कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की व्यवस्था के साथ की जाए।

बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के उपरान्त सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान हेतु दिशा–निदेश

क. बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के उपरान्त प्रभावित हो चुके सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान का पुनः विस्तृत रूप से क्षति का आकलन किया जाए। वृहत क्षति आकलन हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र– "अ" का प्रयोग करते हुए जिले के सभी प्रभावित संस्थानों का समेकित प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

ख. बाढ़ प्रभावित सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में अविलम्ब साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था और यदि कुछ सामान्य मरम्मति की आवश्यकता हो जैसे– स्वच्छ पेयजल हेतु चापाकलों का क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, चापाकलों की मरम्मति, शौचालयों की मरम्मति, आदि कराकर शैक्षणिक कार्य बहाल किया जाए।

ग. बाढ़ के उपरान्त ऐसी संभावना होती है कि छात्रों की उपस्थिति सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में घट जाती है तो इस स्थिति में प्राचार्य अविभावकों से संपर्क स्थापित कर सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान से अनुपस्थित छात्रों के बारे में पूर्ण जानकारी लिया जाए तथा उन्हें सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान आने हेतु प्रेरित किया जाए।

घ. बाढ के उपरान्त अगर ऐसी संभावना बनती है कि संबंधित सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के आने–जाने के क्रम में कठिनाई महसूस हो रही हो जैसे– सड़क टूट गया हो, पुल–पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया हो, रास्ते में जल–जमाव हो आदि के मरम्मति हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर उसकी मरम्मति कराई जा सकती है।

वर्तमान में कुछ जिलो के अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को कोरोना कोरेण्टाईन सेन्टर के रूप में उपयोग किया गया। उन संस्थानो पर पुनः शैक्षणिक कार्य आरम्भ तब–तक नही आरम्भ किया जाये जबतक उन्हे बिसंकमित नही किया जाये। विसंकमित करने का कार्य स्थानीय प्रशासन एव स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में किया हेतु भी दिशा–निर्देश भी पत्र के साथ अंकित किये जा रहे है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के सभी सावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमित अनुश्रवण एवं सससमय प्रतिवेदन का प्रेषण सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,

19.6.20

संयुक्त निदेशक(प्र०),
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

आनन्द/15.06.20

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक: 461113
ग्रा0वि0 07(Pio)–01/2020

पटना, दिनांक: 17/04/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के फैलाव को रोकने सम्बन्धी पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2020 तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का अर्ध–सरकारी पत्र DO No J- 11060/4/2019-RE-VI(e-366816) के आलोक में बिहार राज्य में महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत कार्यो के क्रियान्यवन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः 1) विभागीय पत्रांक 652 दिनांक 23.03.2020, 662 दिनांक 28.03.2020 एवं 682 दिनांक 08.04.2020
2) ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक DO No.A-60022/03/2020-E-II dated, 27th March 2020 एवं 15th April, 2020
3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पत्रांक DO NO.2-21020/16/2020-PH दिनांक 15.04.2020

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.04.2020 द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत कार्यो के क्रियान्यवन के सम्बन्ध में प्राप्त निदेशों के आलोक में आवश्यक तैयारी कर ली जाय एवं निम्नांकित शर्तो के अधीन दिनांक 20.04.2020 से कार्यो का क्रियान्यवन प्रारंभ किया जायः–

1. मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्यवन उन क्षेत्रों में नहीं किया जायेगा जों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 15.04.2020 अथवा राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिकोण से Containment Zones or Hotspots के रूप में चिन्हित किये गये हों। Hotspots क्षेत्रों में समय–समय पर बदलाव हो सकते हैं तदनुसार ही कार्रवाई की जाय।

2. कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम हेतु कार्यस्थल प्रबन्धनः–
   (i) सभी कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिये साबुन/हैण्डवाश एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कार्यस्थल पर साबुन/हैण्डवाश की उपलब्धता मनरेगा योजना में प्रावधानित आकस्मिकता (First Aid Expenses) मद से किया जाय। कार्य स्थल पर मजदूरों को कार्य प्रारंभ के पूर्व, विश्राम के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त साबुन /हैण्डवाश से अच्छे ढ़ंग से हाथों को धोने तथा घर पहुँचने के बाद भी पुनः हाथ साफ करने के लिये प्रेरित किया जाय।

(ii) महात्मा गॉधी नरेगा अन्तर्गत सभी कार्यो के क्रियान्यवन में Social Distancing बनाये रखने के लिए दो मजदूरों के बीच 6 फीट से अधिक की दूरी का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए।

(iii) मजदूरों द्वारा घर से कार्य स्थल आने जाने एवं कार्य स्थल पर कार्य करते समय Face Mask अथवा चेहरे को ढ़कने के लिये गमछा या छोटा तौलिया के उपयोग को सुनिश्चित कराया जाय। इस सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 652, दिनांक 23.03.2020 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये है जिसका अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

(iv) प्रत्येक मजदूर को मस्टर चक्र के लिये एक–एक मास्क मनरेगा आकस्मिकता मद से क्रय कर दिया जाना है। जीविका के उत्पादक समूह द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है और मास्क का क्रय उन्हीं से किया जाय। माह की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मास्क की आपूर्ति हेतु कार्यादेश प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक, जीविका को दे दिया जाय एवं उनसे नोडल संकुल स्तरीय संगठन (CLF)/नोडल ग्राम संगठन/उत्पादक समूह का बैंक विवरणी प्राप्त कर लिया जाय और राशि उपलब्ध होते ही FTO के माध्यम से उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मजदूरों को इस बात से अवगत कराया जाय कि ये मास्क धुलाई योग्य है और मजदूरों द्वारा इनकी धुलाई नियमित रूप से कर उपयोग किया जाय।

(v) प्रत्येक कर्मी कार्य स्थल पर आने जाने एवं कार्य के दौरान पानी पीने, खाना, नाश्ता आदि ब्रेक के दौरान भी Social Distancing का पालन करेंगे एवं एक दूसरे से 6 फीट से अधिक की दूरी बनाये रखेंगे ।

(vi) कार्य के दौरान एवं कार्य पर आने जाने के क्रम में तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग एवं थूकना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।

(vii) कार्य के दौरान मजदूरों द्वारा सामानों, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं एवं औजारों की आपस में अदला–बदली नहीं की जायेगी।

(viii) मनरेगा मजदूरो द्वारा अपना जॉब कार्ड साथ में रखा जायेगा ।

(ix) कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुये अस्वस्थ व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मजदूरी के कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

(x) Quarantine Centre/Isolation Ward से विमुक्त होनेवाले व्यक्तियों के मामले में विमुक्ति के पश्चात सरकारी चिकित्सक के प्रमाण के आधार पर ही कार्य दिया जा सकेगा ।

(xi) प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यो को छोड़कर अन्य कार्यो में 25 मजदूरो पर एक जीविका दीदी को मेट के रुप में रखा जाय तथा उनको उचित कार्य निर्देश (पम्पलेट के साथ) दिये जाय। उनका कार्य होगा कि मजदूरों को Covid-19 में बचाव के संबंध में जागरुक/प्रेरित करें एवं कार्य स्थल पर Corona virus से बचने के लिये Social Distancing का पालन दृढ़तापूर्वक कराएं । साथ ही पंचायत रोजगार सेवक के सहयोग से कार्य स्थल पर हाथ धोने के लिये साबुन/हैण्ड वाश, पीने हेतु स्वच्छ जल एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। इस कार्य हेतु उन्हें अकुशल मजदूरी दर पर भुगतान किया जायेगा।

(xii) कोरोना संक्रमण से बचाव तथा बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित पम्पलेट पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराते हुए क्षेत्र में बंटवाना सुनिश्चित किया जाय ।

(xiii) साथ ही व्यक्तिगत लाभ की योजनओं के आवेदन का प्रपत्र भी पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

3. मनरेगा अन्तर्गत निम्न कार्यों में अनिवार्य रूप से मस्टर रॉल निर्गत किये जायः–

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के आवास निर्माण की वैसी सभी योजनाओं, जिसमें आवास सॉफ्ट पर प्रथम किस्त विमुक्त कर दिया गया है, को Nrega Soft पर प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आवास निर्माण की प्रगति के सापेक्ष मनरेगा से देय मजदूरी का भुगतान बिना किसी विलंब के किया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना के लाभर्थियों को मनरेगा मद से देय मजदूरी उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर कोई कोताही न बरती जाय।

(ii) सभी वृक्षारोपण की कार्यरत योजनाओं (सार्वजनिक व निजी) पर अनिवार्य रूप से रख–रखाव कार्य के लिये मजदूरों का कार्य जारी रखा जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्यरत सभी मजदूरों का नियमित ई–एम आर निर्गत किया जाता रहे ताकि लगाये गये पौधों की देखभाल होती रहे तथा कार्यरत मजदूरों का मजदूरी भुगतान भी नियमित रूप से किया जा सके।

4. मनरेगा अन्तर्गत सभी पंचायतों में कार्यो का क्रियान्यवनः–

दिनांक 20.04.2020 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के साथ अभिसरण एवं वृक्षारोपण के रखरखाव की योजनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 5 योजनाओं का क्रियान्यवन प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की मांग के अनुरुप योजनाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। योजनाओं के कियान्यवन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्र/गॉवों में योजनायें क्रियान्यवित की जाय। क्रियान्यवन के कम में निम्नांकित योजनाओं को प्राथमिकता दी जायः–

(i) जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत एक एकड़ तक के तालाब के निर्माण/उड़ाही, आहर पईन का निर्माण/उड़ाही, विभिन्न प्रकार के चेक डैम का निर्माण/Soak pit Construction/rain water harvesting structure आदि।

(ii) जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत निजी भूमि पर खेत पोखर का निर्माण।

(iii) जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत जल संरक्षण संबंधित अन्य योजनायें।

(iv) बाढ़ नियंत्रण/रोधी कार्य ।

(v) निजी भूमि पर Poultry Shed का निर्माण।

(vi) निजी भूमि पर Vermi Compost/Nadep pit का निर्माण।

(vii) निजी भूमि पर Cattle Shed/Goat Shed का निर्माण।

(viii) आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।

जल संरक्षण से संबंधित योजानाओं को 15 जून 2020 के पूर्व पूर्ण कर लिया जाय, ताकि उनका लाभ ससमय ग्रामीणों को प्राप्त हो सके।

5. ग्राम पंचायतों में सभी इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाय तथा इस सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 682 दिनांक 08.04.2020 द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. SECURE पर योजनाओं को Spillover किये जाने एवं नये कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 680, दिनांक 08.04.2020 द्वारा दिये गये निदेशों का पालन तय समय सीमा में कराया जाय ताकि पर्याप्त संख्या में योजनायें क्रियान्यवन हेतु उपलब्ध रहें।
7. सभी इच्छुक परिवारों को काम उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में काम की मांग को अकारण अस्वीकृत नहीं किया जाय।
8. सभी इच्छुक परिवारों/व्यक्तियों को अपने ही पंचायत में कार्य आवंटित किया जाय।
9. वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी सावधानी व सघन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। तदनुसार सभी मनरेगा कर्मियों को मनरेगा से इतर कार्यो में प्रतिनियुक्त न किया जाय जिससे कि मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जा सके।

अतः उर्पुक्तानुसार मनरेगा कार्यो का क्रियान्वयन करवाते हुये अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाय।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

विश्वासभाजन

17/4/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक ...../दिनांक.....
ग्रा0वि0 07(नि0)–01/2020

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, MGNREGA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, MGNREGA, BRDS, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः Director, E-Governance & IT, BRDS, Patna को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेशित है कि उक्त पत्र की प्रति को BRDS वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

17/4/2020

प्रधान सचिव।

संचिका संख्या– 8 आपदा (12) 01/2020...../

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

(पशुपालन)

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, भा०प्र०से०

सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना

सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–...../...../2020

विषयः– **संभावित बाढ़–2020 के पूर्व, बाढ़ के समय एवं बाढ़ोपरांत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु राहत कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यकारी आदेश ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के कतिपय जिलों में प्रायः प्रतिवर्ष अथवा प्रत्येक दूसरे वर्ष बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है। बाढ़ के पूर्व तैयारी तथा बाढ़ आने पर कार्रवाई के संबंध में पूर्व से स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जानमाल की क्षति एवं फसल नष्ट होने के साथ–साथ अनाज एवं भूसा/पुआल के नष्ट होने, पशुओं के बाढ़ में बह जाने, पशुओं को विभिन्न रोगों से ग्रसित होने तथा उनके उत्पादन क्षमता में ह्रास होने की संभावना बनी रहती है।

2. विगत वर्षो की भांति वर्ष 2020 के संभावित बाढ़ को देखते हुए सरकार पशुधन सहाय्य कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए दृढ़संकल्प है। जिला स्तर पर यह कार्य जिलाधिकारी के नियंत्रण में किया जाना है, जिसमें पशुपालन विभाग की भी अहम भूमिका होती है। अतः संभावित बाढ़–2020 के पूर्व की स्थितियों, बाढ़ के समय की परिस्थितियों तथा बाढ़ के उपरांत संभावित परेशानियों को देखते हुए तैयारी की जानी अपेक्षित है। इस कार्यकारी आदेश की कंडिकाओ में निहित अनुदेशों का अनुपालन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि बाढ़ के समय तो पशु प्रभावित होते ही है, बाढ़ के बाद भी उन्हे संक्रमित होने अथवा रोगग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है।

3. **बाढ़ पूर्व की तैयारी** :–चुँकि राज्य के 28 जिलें बाढ़ प्रवण है जहाँ बाढ़ एक Recurring hazard है अतः यह अपेक्षा की जाती है कि इन जिलों में बाढ़ तथा उससे होने वाली परेशानियों का सामना सुव्यवस्थित ढ़ंग से हो। आवश्यक है कि बाढ़ के दौरान, बाढ़ के समय तथा बाढोपरांत संभावनाओं को देखते हुए निम्नलिखित तैयारी पूर्व में ही कर ली जाय :–

(i) बाढ़ सहाय्य केन्द्रों की स्थापना:–पूर्व वर्षो के अनुभव के आधार पर जल प्लवन संभावित क्षेत्रों में गाँव के ऊँचे स्थलों का चयन कर लिया जाय जहाँ पशुओं को बाढ़ के समय रखा जा सके तथा सहाय्य केन्द्र भी खोला जा सके। स्थल चयन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि बाढ़ के समय चयनित केन्द्रो पर दवा, चारा तथा अन्य सामानों की आपूर्त्ति आसानी से की जा सके। चयनित सहाय्य केन्द्रो की सूची का अनुमोदन संबंधित जिलाधिकारी से कराने के पश्चात सूची पशुपालन निदेशालय को 15 जून, 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय।

चयनित केन्द्रों पर पशु दवा, टीकौषधियों, एंटीसेप्टिक, फेनाइल आदि सामग्रियों की आवश्यक मात्रा का आकलन तथा उनकी उपलब्धता पूर्व से ही सुनिश्चित कर लें ताकि अल्पावधि में ही इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके।

यदि चयनित केन्द्रो की तुलना में उपलब्ध कर्मियों की संख्या कम हो तो इसकी सूचना पशुपालन निदेशालय को समय पूर्व ही दें ताकि निदेशालय स्तर से गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। निदेशालय स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के अन्दर प्रभावित स्थल पर योगदान कर लेगें।

(ii) चारा–दाना की व्यवस्था :–बाढ़ सहाय्य कार्य के लिए पशु चारा–दाना की व्यवस्था तथा उनका भण्डारण एक बड़ी समस्या है। पूर्व वर्ष के अनुभव यह बताते है कि बाढ़ के दौरान शीघ्र चारा उपलब्ध करा पाना व्यवहारिक नही हो पाता है। यह तय है कि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं चारा की समुचित मात्रा उपलब्ध रहती है। इसलिए चारा–दाना की आवश्यक मात्रा की गणना, उनके उपलब्धता के स्रोत तथा उनके अनुमानित लागत मूल्य का आकलन पूर्व में ही कर लेना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर कठिनाईयाँ न हो। प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चारा–दाना की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही कर लेना सुनिश्चित किया जाय। जिला प्रशासन के सहयोग से बाढ़ के पूर्व निविदा के माध्यम से सुखा चारा एवं दाना आदि के दर एवं आपूर्त्तिकर्त्ता का निर्धारण सुनिश्चित कर लिया जाय।

(iii) पशु दवा/टीकौषधियों की व्यवस्था :–पशुधन किसानों के लिए महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। बाढ़ के समय ये पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते है। इसलिए बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ोपरान्त संभावित पशु रोगों का आकलन पूर्व से ही कर ली जाय तथा इसके अनुसार पशु दवा, टीकौषधियों, एंटीसेप्टिक, कृमीनाशक दवाएँ आदि की आवश्यक मात्रा का आकलन पूर्व से ही कर लें। साथ ही चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। आवश्यक पशु दवा का क्रय जिलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी को आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के आधार पर किया जाएगा। पशु दवा तथा टीकौषधियों का क्रय भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के पत्रांक–53–65/2006 दिनांक– 14.02.2006 तथा समय–समय पर क्रय संबंधित निर्गत अन्य पत्रों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय नियमावली–2005 एवं समय–समय पर संशोधित सम्यक नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। कार्ययोजना तैयार करते वक्त प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को भी ध्यान में रखा जाय।

4. बाढ़ के दौरान की तैयारी :– बाढ़ के समय तथा बाढ़ोपरांत संभावनाओं को दृष्टि पथ में रखते हुए निम्नलिखित तैयारी पूर्व में ही कर ली जाय:–

(i) चिकित्सा कार्य :–बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल–जमाव तथा प्रदूषित पेय जल के सेवन से पशु बीमारी की संभावना बनी रहती है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आवंटन के आधार पर आवश्यक दवा के क्रय से संबंधित अनुदेश पूर्व की कंडिका में दी जा चुकी है। बाढ़ के पूर्व तथा बाढ़ के समय प्रयोग होने वाले कृमिनाशक दवाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बाढ़ के दिनों के लिए उपचारात्मक औषधियों की विशेष आवश्यकता होती है। विभागीय आवंटन से भी विभाग द्वारा संसूचित आवश्यक औषधियों का क्रय एवं भण्डारण सुनिश्चित किया जाय।

(ii) पर्यवेक्षण तथा प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण :–जिला पशुपालन पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में चल रहे क्रियाकलापों का नियमित रूप से तथा निर्धारित कार्यक्रम के तहत निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य करते रहेंगे। इन कार्यो के अनुश्रवण की जबावदेही क्षेत्रीय निदेशकों में निहित रहेगी।

बाढ़ के समय चलाये जा रहे कार्यों का दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रखण्ड स्तर से जिला पशुपालन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर जिलाधिकारी तथा क्षेत्रीय निदेशकों को समर्पित करेंगे। उसकी एक प्रति पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में कार्यरत नियंत्रण कक्ष को भी दिया जाय।

पहला प्रतिवेदन बाढ़ आने के एक सप्ताह बाद या 07 जुलाई, 2020 (जो पहले हो) से प्रारंभ हो जानी चाहिए।

(iii) नियंत्रण कक्ष की स्थापना:– राज्य स्तर पर बाढ़ सहाय्य कार्यो के सम्पादन के निमित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। जिसके प्रभारी के रूप में निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के द्वारा इस संस्थान के किसी वरीय पदाधिकारी को नामित किया जाएगा। निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना की अनुपस्थिति में कार्यरत वरीयतम पदाधिकारी उनके दायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेवार एवं जबावदेह होगें। यह नियंत्रण कक्ष 25 जून, 2020 से कार्य करने लगेगा। विषम परिस्थिति में नियंत्रण कक्ष पालीवार पद्धति पर दिन–रात कार्य करेगा। डॉ० रवीन्द्र कुमार सिंह, चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना, आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी के रूप में विभाग की ओर से कार्य करेगें।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष का यह दायित्व होगा कि वे लगातार क्षेत्र एवं उच्चधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें। साथ ही क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर निदेशालय को अवगत करायेंगे एवं आकस्मिक सूचना से सचिव/ निदेशक, पशुपालन/ नोडल पदाधिकारी को सूचित करते हुए विभागीय निर्णयों से संबंधितों को अवगत करायेंगे।

(iv) सहाय्य कार्यो का सूत्रण :–बाढ़ सहाय्य कार्यो का प्रबोधन एवं सूत्रण हेतु निदेशक, पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, पटना द्वारा प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए दो–दो पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेगें जो जिला में सम्पादित सारे कार्यो का प्रबोधन करेगें तथा परिस्थितियों से नियंत्रण कक्ष/सचिवालय को अवगत करायेगें।

5. बाढ़ के बाद की तैयारी :–जल प्लवन वाले क्षेत्रों से पानी के निस्सरण के साथ पशुओं में बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है। अतः बाढ़ के उपरांत भी सतत सक्रिय रहने की आवश्यकता है इसके लिए आवश्यक है कि :–

i) बीमारियों के लिए उपचारात्मक व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाय तथा बीमारी फैलने पर त्वरित कार्रवाई की जाय। साफ–सफाई की बातों पर पशुपालकों को ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाय।

ii) क्षतिग्रस्त पशुशालाओं/मृत पशुओं की सूची जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बनाई जाय तथा संकलित प्रतिवदेन से समय–समय पर जिला प्रशासन एवं पशुपालन निदेशालय को अवगत कराया जाय।

iii) बीमाकृत पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय।

iv) अल्पावधि में तैयार होने वाले चारा फसल की खेती के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय।

अन्यान्य

i) बाढ़ के संभावित कुप्रभाव तथा आकस्मिक स्थिति से निपटने के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग से निर्गत निर्देशों तथा अनुदेशों से सभी पदाधिकारियों/ कर्मियों/ पशुपालकों/ आमजनों को समय-समय पर अवगत कराया जाय।

ii) बाढ़ सहायय कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी बिना किसी अपरिहार्य कारण तथा जिला प्रशासन/विभागीय उच्च पदाधिकारियों से पूर्वानुमति के बिना अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोडेगें।

iii) कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थितित के मद्देनजर बाढ़ आपदा राहत में प्रतिनियुक्त/ संलग्न सभी पदाधिकारी/ कर्मचारीगण अनिवार्य रूप से मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग एवं बचाव हेतु अनुशंसित उपायों का पालन करेंगे।

iv) बाढ़ के समय जिलाधिकारियों को यह शक्ति प्रदत्त है कि जिला में पदस्थापित पशुपालन विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी की सेवा अपने अधीन लेकर राहत कार्य में लगा सकते है।

v) प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जान-बूझकर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाना बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम-2004 की धारा-13 तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-5 के तहत दण्डनीय है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-8 आपदा (12) 01/2020..... ..... पटना-15, दिनांक -...../...../2020

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार एवं सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-8 आपदा (12) 01/2020..... पटना-15, दिनांक -...../...../2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-8 आपदा (12) 01/2020 1669 (20) पटना-15, दिनांक - 02 / 06 /2020

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ नोडल पदाधिकारी (आपदा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं निदेशालय में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

ई-मेल-dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष/फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 आपदा (12) 01/2020 ......1919 (नि0)/ दिनांक-......19/06/...... 2020

प्रेषक,

विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।
(गया, जहानाबाद, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, छपरा, गोपालगंज, कटिहार एवं किशनगंज को छोड़कर)।

विषय :– संभावित बाढ़/सुखाड़–2020 हेतु चारा–दाना दर एवं आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–1184 (नि0), दिनांक–17.04..2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगात्मक पत्र को पुनः संज्ञान में लाते हुए सूचित करना है कि पत्र में निदेश दिया गया है कि विलम्बतः 15 मई 2020 तक जिलों में पशु चारा–दाना के दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण कर लिया जाय। विभागीय समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि आपके जिलें में अभी तक दर/आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण नहीं किया गया है।

अतः पुनः निदेशित किया जाता है कि आसन्न बाढ़/सुखाड़ की स्थिति से निपटने हेतु व्यक्तिगत रूची लेकर चारा–दाना का दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण एक सप्ताह के अन्दर अवश्य कर लिया जाय। प्रतिकुल परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक :– 8 आपदा (12) 01/2020 ......1919 (नि0) पटना दिनांक–......19/06/2020

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट एवं संबंधितों के ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध (कार्य)–23–40/16-2074 दिनांक–22/06/2020

प्रेषक– प्रवीण कुमार ठाकुर,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– Covid-19 संक्रमण काल में संभावित बाढ़ 2020 की पूर्व तैयारी के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1892 दिनांक–10.06.2020 एवं बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पत्रांक–1362 दिनांक–11.06.2020।

महाशय,

उपर्युक्त बिषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि राज्य के बाढ़ प्रवण माने जाने वाले जिलों में बाढ़ आने के पूर्व की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने है। इस क्रम में निम्न बिन्दुओं पर निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगेः–

1. आगामी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल बनाने हेतु सामग्रियों/सेवाओं/ Tools & Plants आदि के आपूतिकर्त्ताओं के Panel बनाने की कारवाई यथाशीघ्र पूर्ण की जाय।
2. जिले की मुख्य सड़कों विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों पर बाढ़ से कटाव के समय विशेष नजर रखी जाय।
3. पथों में स्थित पुल–पुलियों के Vents की साफ–सफाई करा ली जाय।
4. विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी बरसात अवधि 2020 की समाप्ति तक सचिव/ अभियंता प्रमुख से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ने एवं पूर्व के सरकारी निदेशानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी को भी सूचित करेंगे।
5. बाढ़ के दौरान प्रतिदिन अपने क्षेत्राधीन पथों का भ्रमण एवं निगरानी कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता द्वारा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. बाढ़ प्रभावित पथों में हुई क्षति का प्रर्याप्त विडियोग्राफी एवं फोटो लेना सुनिश्चित करेंगे।
7. सभी पदाधिकारी अपना CUG सीम फोन चालू रखेंगे।
8. नियमित रूप से विभागीय RWD Bihar Whats App group से संपर्कित रहेंगे।
9. बाढ़ के दौरान पदाधिकारी निरंतर उच्चाधिकारी एवं स्थानीय जिला प्रशासन के संपर्क में रहेंगे।

10. बाढ़ के दौरान सड़क टूटे रहने के कारण यातायात भंग न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

राज्य में कोरोना वायरस महामारी के व्याप्त प्रकोप के मद्देनजर कोरोना वायरस के सक्रमण से बचाव को घ्यान में रखते हुए मरम्मति अथवा अन्य सभी कार्यों के दौरान निम्नांकित सावधानियों का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाय :–

(क) कार्यस्थल पर बिना थर्मल स्क्रिनिंग एवं बिना मास्क पहने व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाये।

(ख) कार्यस्थल पर सैनिटाइजर अथवा हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था रखी जाये।

(ग) ग्रामीण पथों/पुलों/परियोजनाओं के निर्माण/अनुश्रवण/उन्नयण का कार्य पर्याप्त सावधानी एवं तैयारी के साथ किया जाये। कार्य अथवा निरीक्षण के दौरान सामाजिक दूरी या व्यक्ति से व्यक्ति की दो गज की दूरी रखी जाय। सभी लोग अपना मुँह एवं नाक गमछा/रूमाल/दुपट्टा से ढ़ँक कर रखें या मास्क का उपयोग करें।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाये कि भ्रमण पदाधिकारी हमेशा अपने साथ सैनिटाईजर अपने साथ रखे। आवश्यकतानुसार कुछ–कुछ अन्तराल पर हाथ को सैनिटाईज करते रहे। यदि उपलब्ध हो तो साबून से न्यूनतम 20 सेकंड तक हाथ धोया जाय।

(ड़) किसी को बुखार या खॉसी होने पर उसे अलग जगह पर रखने का प्रबंध करें एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। यह भी घ्यान रखा जाय कि लोग कुछ– कुछ अन्तराल पर होथों को साबुन –पानी से धोते रहे तथा यंत्र–तंत्र न थुकें।

विश्वासभाजन

22/06/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– मु0अ0–4 (मु0) विविध (कार्य)23–40/16-2074/पटना, दिनांक–22/6/2020

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं ससमय आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

22/06/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– मु0अ0–4 (मु0) विविध (कार्य)23–40/16-2074/पटना, दिनांक–22/6/2020

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

22/06/2020

अभियंता प्रमुख

पत्रांक: SHSB/PM/526/2018/.....

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना/दिनांक.....

विषय: **COVID-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संभावित बाढ़ की चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 329(11), दिनांक 29.04.2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 1305, दिनांक 10.06.2020 एवं पत्रांक 1359 दिनांक 12.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक पत्रांक 329 (11), दिनांक 29.04.2020 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 1305, दिनांक 10.06.2020 एवं पत्रांक 1359 दिनांक 12.06.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ लिया जाय, जिसके माध्यम से राज्य में संभावित बाढ़ एवं इसके कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसकी रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाये हेतु आवश्यक दिशा-निदेश निर्गत किये गये है, ताकि बाढ़ से उत्पन्न जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके।

2. ध्यातव्य है वर्तमान में COVID-19 के संक्रमण तथा संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। संभावित है कि निकट भविष्य में भी संक्रमण की यह स्थिति बनी रहेगी। अतएव संभावित बाढ़ की चिकित्सकीय व्यवस्था के साथ COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित तैयारियाँ भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये-

(क) जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों को नजदीक के Isolation Centre के साथ संबद्ध किया जाये।

(ख) सभी बाढ़ राहत शिविरों में चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति करते हुये शिविर में आवासित व्यक्तियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग किया जाये।

(ग) बाढ़ राहत शिविर में प्रतिनियुक्त चिकित्सक दल को COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग हेतु Infrared Thermometer एवं Pulse Oxymeter (Digital Finger- Clamp) उपलब्ध कराया जाये। चिकित्सा दल को संक्रमण से बचाव हेतु PPE Kits, N-95 Mask, 3-Ply Mask, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap, Sanitizer, Soap आदि उपलब्ध कराया जाये।

(घ) बाढ़ राहत शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग के दौरान लक्षणात्मक पाये गये व्यक्तियों का नियमानुसार नमूनाकरण आदि किया जाये।

(ड.) नमूना जाँचोपरांत COVID-19 True Positive पाये गये व्यक्तियों को उनके Symptom के severity के आधार पर राहत शिविर के साथ संबद्ध Isolation Centre अथवा यथाउपयुक्त COVID Treatement Centres में भर्ती किया जाये।

(च) बाढ़ राहत केन्द्र के साथ संबद्ध स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध रखा जाये।

(छ) COVID-19 के संक्रमण से बचाव, infection control, social distancing से संबंधित पूर्व से निर्गमित सामान्य दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(ज) बाढ़ राहत शिविरों पर COVID-19 से संबंधित प्रचार-प्रसार:- Quarantine Centre पर COVID-19 से संबंधित मुख्यत: Social Distancing, हाथ धोने, मास्क के उपयोग, Home quarantine में बरती जाने वाली सावधानी आदि से संबधित प्रचार-प्रसार किया जाये।

3. अत: संभावित बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्था उपर्युक्त विधि से दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(उदय सिंह कुमावत)

ज्ञापांक:...1374... पटना, दिनांक...12/06/2020...

प्रतिलिपि:

- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–बाढ़(मो0)सिंचाई–15/2020 -2657 /पटना, दिनांक– 06-07-2020

कार्यालय–आदेश

बाढ़ 2020 में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का कार्य संलग्न परिशिष्ट–"क" के अनुसार पालियों में सम्पादित होगा । सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय पर उपस्थित होंगे एवं निर्धारित कार्य सम्पादित करेंगे ।

2. प्रत्येक पाली में नामांकित कार्यपालक अभियंता, पाली प्रभारी होंगे। पाली प्रभारी मुख्य रूप से अपने पाली की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे। वे पाली के लिए निर्धारित अवधि में बाढ़ संबंधी सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे। उन्हें यह भी देखना होगा कि पाली के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी निश्चित समय पर उपस्थित होकर अपना कार्य उचित रूप से निष्पादित करते हैं। कर्मचारियों अथवा पदाधिकारियों द्वारा कर्त्तव्यपालन में किसी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि होने पर पाली प्रभारी, प्रभारी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना को इसका लिखित प्रतिवेदन देंगे तथा शिकायत पुस्तिका में भी उसे अंकित करेंगे ।

3. बाढ़ अवधि में चारों पाली की रोटेशन तालिका तैयार की गयी है जो परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है उसे देखने से ज्ञात होगा कि प्रत्येक पाली के लिए आधा घंटा का समय प्रभार देने/लेने के लिए रखा गया है। हर आने वाले पाली के प्रभारी का कर्त्तव्य होगा कि पाली आरंभ होने के आधा घंटा पूर्व निश्चित रूप से बाढ़ नियंत्रण कक्ष में उपस्थित होकर अपने से पूर्व पाली प्रभारी से अपना कार्यभार संभाल लें। जब तक अगली पाली के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता आकर प्रभार नहीं ले लें, पिछली पाली में कार्यरत कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता किसी भी परिस्थिति में बाढ़ नियंत्रण कक्ष नहीं छोड़ेंगे । ऐसी परिस्थिति में वे प्रभारी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना से सम्पर्क करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे। सामान्य पाली के प्रभारी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–15 एवं 18 होंगे ।

4. विशेष परिस्थिति में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना के आदेश पर अन्य पालियों के भी कार्यपालक अभियंता को उपस्थित रहना आवश्यक होगा। 8–8 घंटे की पाली में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–15 के माध्यम से तथा सामान्य पाली में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों जो परिशिष्ट– "ग", "घ" एव "ड़" पर संलग्न है, की उपस्थिति पंजी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–18, के माध्यम से प्रभारी अधीक्षण अभियंता को उपस्थापित की जायेगी ।

5. बाढ़ नियंत्रण कक्ष के संचालन व्यवस्था का दायित्व कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–15 का होगा। उनकी अनुपस्थिति में यह जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–16 की होगी । इन दोंनो पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–17, इसके प्रभारी होंगे। इन तीनों की अनुपस्थिति में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–18 प्रभारी होंगे ।

6. सामान्य पाली 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक कार्यरत रहेगी। सभी पाली/सामान्य पाली में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यो एवं परिशिष्ट "ग" में अंकित कार्यो के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये कार्यो को भी निष्पादित करेगे । आवश्यकतानुसार जो अन्य निदेश समय–समय पर निर्गत किये जायेगें उसका भी उन्हें पालन करना होगा । सिंचाई भवन से बाहर डाक, गेज एवं वेतार संदेश आदि लाने, ले जाने तथा अन्य कार्यो का आवंटन परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिये गये कार्य तथा समय–समय पर दिये गये अन्य कार्यो को सभी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी समय पर मुस्तैदी से निष्पादित करेंगे ।

7. बाढ़ अवधि के दौरान अवकाश आवेदन डायरी कराकर ही सहमति/उनके स्थान पर किसी दूसरे का प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु (संबंधित पदाधिकारी) कार्यपालक अभियंता–15 या 18 के समक्ष/डाक में उपस्थापित किया जायेगा। बिना डायरी के आवेदन पाये जाने पर किसी तरह का विचार नहीं किया जायेगा तथा उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

अनु0–यथावत् ।

6.7.20

(राजेश कुमार)
अभियंता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक–2697 पटना, दिनांक–6-7-2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक के प्रतियों के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित ।

अनु0– यथावत् ।

6.7.20

(राजेश कुमार)
अभियंता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक– 2697 पटना, दिनांक–6-7-2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव ।

6.7.20

(राजेश कुमार)
अभियंता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

बिहार सरकार

कृषि निदेशालय, बिहार

(सूचना शाखा)

राज्य के कृषकों को कृषि कार्य में करोना संक्रमण से बचने हेतु दिशा–निदेश

1. फसल कटनी एवं दौनी का कार्य यथासंभव समय से पूरा किया जाय तथा इसके लिए आधिकाधिक मशीन यथा रीपर कम बाइंडर, थ्रेशर आदि का उपयोग किया जाय। हस्तचालित यंत्र तथा हँसिया आदि के उपयोग के समय दिन में कम से कम तीन बार उपकरण को साबुन पानी से अच्छी तरह धोकर संक्रमण रहित किया जाय। मशीन के चालन हैंडिल, स्टीयरिंग की विशेष सफाई की जाए।
2. फसल कटनी एवं दौनी करते समय खेत में या थ्रेशिंग फ्लोर पर एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी बनाकर रखी जाय। यह जान लें की संक्रमण रोकने के लिए ही समाजिक दूरी (Social distancing) सबसे उपयोगी हथियार है।
3. मजदूर अपने खाने का बर्तन अलग–अलग रखें तथा खाना खाने के बाद इसे अच्छी तरह धो लें। पीने के पानी का बोतल अलग–अलग रखें। प्रत्येक व्यक्ति अलग–अलग कटाई उपकरण का उपयोग करें। एक दूसरे के यंत्र को बदल–बदल कर कदापि उपयोग नहीं करें।
4. कटनी एवं दौनी के दौरान कुछ कुछ समय पर साबुन पानी से हाथ धोते रहें।
5. कटनी एवं दौनी के समय पहने गए कपड़ों का दोबारा उपयोग धोने के बाद अच्छी तरह धूप में सूखाकर ही करें।
6. कटनी एवं दौनी के समय नाक एवं मुँह को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करें। जीविका समूह के द्वारा तैयार मास्क का उपयोग किया जा सकता है।
7. अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, सरदर्द, बुखार के लक्षण हों तो उन्हें कदापि कटाई एवं दौनी कार्य में नहीं लगायें तथा बीमार व्यक्ति की सूचना निकट के स्वास्थ्य कर्मी को दें।
8. खेत में एवं थ्रेशिंग फ्लोर पर पर्याप्त मात्रा में पानी एवं साबुन की व्यवस्था रखें।
9. सावधानी ही कोविड–19 (करोना) के संक्रमण से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करें।
10. फसल कटनी के उपरांत फसल अवशेष को जलाना नहीं है। उसका उचित प्रबंधन करें।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

PR No. 018090(Agriculture)2019-20

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 24x7 Toll Free No.: **104** पर संपर्क कर सकते हैं।

खाद्य सामग्री – संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सुझाव हेतु दूरभाष संख्या 0612–2217636 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

किसी भी तरह आपदा की जानकारी अथवा सुझाव हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(रबी 2019–20)

अप्रैल 2020 माह में दिनांक 14 से 27 अप्रैल तक असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित 19 जिलों यथा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया के 148 प्रखंड यथा बैकुंठपुर, सिंघवलिया, मांझा, गोपालगंज, थावे, कुचायकोट, हथुआ, उचकागाँव, फुलवरिया, कटैया, पंचदेवरी, बोचहां, गायघाट, कटरा, औराई, मीनापुर, मुरौल, कुढ़नी, सरैया, कांटी, सकरा, मड़वन, साहेबगंज, मुशहरी, मधुबन, पताही, रामनगर, सुरसंड, परिहार, बथनाहा, सोनवरसा, चोरौत, नानपुर, बोखरा, बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, बेलसंड, परसौनी, डुमरा, मेजरगंज, शिवहर, डुमरी कटरसी, पुरनहिया, पिपराही, तरियानी, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, बहेड़ी, सिंघवाड़ा, जाले, मनिगाछी, बेनीपुर, अलीनगर, किरतपुर, कु० स्थान, कु० स्थान पूर्वी, रहिका, राजनगर, खजौली, बेनीपट्टी, हरलाखी, मधवापुर, झंझारपुर, लखनौर, खुटौना, दलसिंहसराय, सरायरंजन, रोसड़ा, मोरवा, हसनपुर, वारिसनगर, बेगूसराय, वीरपुर, भगवानपुर, बछवाड़ा, चेरियाबरियारपुर, खोदाबंदपुर, छौड़ाही, बखरी, नावकोठी, गढ़पुरा, पिपरिया, खगड़िया, चौथम, मानसी, गोगरी, परबत्ता, बेलदौर, अलौली, पिरपैंती, कहलगाँव, गोपालपुर, नवगछिया, खरीक, रंगरा चौक, इस्माईलपुर, नारायणपुर, बिहपुर, सबौर, कहरा, सत्तरकटैया, नवहट्टा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा, सौर बाजार, पतरघट, सलखुआ, बनमा इटहरी, सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, राघोपुर, प्रतापगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर, गम्हरिया, शंकरपुर, मुरलीगंज, कुमारखंड, उदाकिशुनगंज, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, चौसा, पुरैनी, आलमनगर, कसबा, जलालगढ़, के० नगर, श्री नगर, बनमनखी, धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली, बी० कोठी, डगरूआ, बायसी, अमौर, बैसा, किशनगंज, कोचाधामन, पोठिया, ठाकुरगंज, फारबिसगंज, रानीगंज एवं भरगामा में प्रभावित फसलों के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में रबी/गर्मा, 2019–20 के दिनांक 14 से 27 अप्रैल तक हुई असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए प्रभावित किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित साहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से हुये फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर।

b) सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर।

c) उद्यानिक/पेरेनियल फसल के लिए 18000 रू० प्रति हेक्टेयर।

1.3 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया अनुदान देय है। उद्यानिक/पेरेनियल फसल के लिए न्यूनतम 2000 रूपया अनुदान देय है।

जिन कृषकों को फरवरी एवं मार्च माह में हुए फसल क्षति का लाभ मिल गया है, वे अप्रैल माह में कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

2. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 **रबी मौसम 2019–20 में जिन किसानों द्वारा इसके पूर्व फसल क्षति के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया गया है वे अप्रैल, 2020 में फसल क्षति के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकते हैं।**

2.3 **वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसान हैं, वे सीधे "अप्रैल 2020 में 14 से 27 अप्रैल तक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना" https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।**

2.4 अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** किया जाएगा।

2.5 **अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।**

ऑनलाईन आवेदन की सुविधा :

- किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **कृषि इनपुट अनुदान** हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र है–
  - किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते है– निःशुल्क।
  - प्रखंड स्थित ई– किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
  - कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर 10 रू० शुल्क का भुगतान कर करा सकते हैं।
  - अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते है।

3. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

3.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"अप्रैल 2020 में 14 से 27 अप्रैल तक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना"** मेनू पर क्लिक करेंगे।

3.2 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **अप्रैल 2020 में 14 से 27 अप्रैल तक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए प्रत्येक दिन सुबह 9.00 बजे से संध्या 6.00 तक कृषि इनपुट अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**

3.3 **अप्रैल 2020 में 14 से 27 अप्रैल तक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अन्तर्गत अनुदान के आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** किया जाएगा।

3.4 किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से ऑनलाईन **अप्रैल 2020 में 14 से 27 अप्रैल तक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.5 **अप्रैल 2020 में 14 से 27 अप्रैल तक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** हेतु आवेदन के लिए सर्वप्रथम किसान कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे। यह योजना प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को अधिकत्तम 2 हेक्टेयर के लिए मान्य होगा।

3.6 **किसान को तीन श्रेणियों** (स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, स्वयं भूधारी + वास्तविक खेतिहर) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। **एक खेत के लिए एक हीं व्यक्ति को अनुदान की राशि देय है, चाहे जमीन का मालिक हो या खेतिहर।** इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषि समन्वयक द्वारा दिया जायेगा, कि उनके द्वारा जाँच कर लिया गया है।

3.6.1 **"स्वयं भूधारी"** की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम प्रविष्ट करेंगे।

3.6.2 **"वास्तविक खेतिहर"** किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, कुल असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षर सहित सत्यापित दस्तावेज अपलोड करेंगे।

3.6.3 **"स्वयं भूधारी"** + वास्तविक खेतिहर" किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और वास्तविक खेतिहर के लिए खेसरा नंबर, असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और साथ–ही–साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

3.6.4 वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें "वास्तविक खेतिहर" के रूप में प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा संयुक्त रूप से पहचान की व्यवस्था होगी। यह कार्य जाँच के क्रम में कृषि समन्वयक के द्वारा की जायेगी।

3.6.5 सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

3.7 किसान द्वारा दिये गए कुल प्रभावित रकवा के अनुसार ही कुल अनुदान की राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।

3.8 अनिवार्य जानकारी के प्रविष्टि करने के पश्चात किसान, आवेदन प्रपत्र में दिए गए CAPTCHA डालेंगे एवं GETOTP पर क्लिक करेंगे। किसान के द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल संख्या पर 4/6 अंकों का OTP भेजा जायेगा। बिना OTP के आवेदन अमान्य होगा एवं किसान द्वारा सही OTP डालने पर किसान के प्रकार के अनुसार जमीन का

दस्तावेज (रसीद/जमाबंदी /LPC/ स्वयं अभिप्रमाणित घोषणा पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसान द्वारा जमीन दस्तावेज सफलतापूर्वक संलग्न करने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही किसान को SMS के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल संख्या पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो तो 48 घंटे की समय सीमा के अन्दर आवश्यक बदलाव करने के लिए भी सूचित किया जायेगा अन्यथा 48 घंटे के बाद आवेदन स्वतः कृषि समन्वयक स्तर पर सत्यापन के लिए अग्रसारित हो जायेगा जिसके बाद आवेदन में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। 48 घंटे से पहले आवेदन में हुए त्रुटि के संशोधन के लिए लिंक पोर्टल पर "विवरण संशोधन" मेनू के अन्दर दिया गया है।

3.9 DBT Agriculture पोर्टल को किसी भी तरह से Bypass करने का प्रयत्न या कोई भी छेड़छाड़ गंभीर अपराध है। इसपर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3.10 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल तथा 1 हेक्टेयर = 247 डिसमिल) ।**

3.11 किसान **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.12 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.13 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

4. आवेदन की स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

4.1 जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक 10 दिनों के अंदर आवेदन में दर्ज दावा की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। वर्तमान में COVID-19 संक्रमण के कारण कृषक परेशानी में है और उन्हें तत्काल सहायता आवश्यक है। लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। प्रभावित प्लॉट (सर्वे नम्बर) में कृषकों का छायाचित्र(फोटो) लेने तथा जाँचोपरान्त उसे अपलोड करने में सॉफ्टवेयर धीमा हो जाता है एवं समय अधिक लगता है। अतः इसके निराकरण एवं कृषकों को शीघ्र लाभ पहुँचाने के उदेश्य से निम्नलिखित आशय का घोषणापत्र छायाचित्र के स्थान पर अपलोड किया जाएगा :–

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रश्नगत क्षतिपूर्ति आवेदन की जाँच मैनें स्वयं कर ली है एवं मैं इसके सत्यता के सत्यापन से संतुष्ट हूँ।"

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
तिथि :

Login Id एवं Passowrd से सम्बन्धित निदेश :–

- एक कृषि समन्वयक एक से अधिक स्थान से लॉगिन नहीं कर सकता है।
- लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड की सुरक्षा कृषि समन्वयक को सुनिश्चित करना है।
- कृषि समन्वयक के द्वारा लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।
- किसान सलाहकार को लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड नहीं दिया जाएगा।

➢ जिला कृषि पदाधिकारी केवल कृषि इनपुट अनुदान कार्य का सत्यापन ए० टी० एम०/बी० टी० एम०/बी० एच० ओ० से करा सकते हैं।

कृषि समन्वयक के द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थल जाँच कर स्वयं संतुष्ट होकर आवेदन के निष्पादन (स्वीकृति/अस्वीकृति) करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(i) आवेदक का नाम एवं कृषक का प्रकार सही है।

(ii) आवेदक द्वारा आवेदित भूमि एवं क्षति का रकवा सही है।

(iii) **आवेदक द्वारा वास्तव में फसल लगाई गयी थी और अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि 33% से ज्यादा क्षति हुई है। साथ हीं यह संतुष्ट हो लें कि क्षतिग्रस्त फसल पुनर्जीवित नहीं हो सकती और यह क्षति अप्रैल माह की 14–27 अप्रैल के बीच की अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से ही हुई है।**

(iv) वास्तविक खेती करने वाले जोतेदार को ही लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित खेत के चौहद्दीदारों से पूछ–ताछ करें।

(v) किसान वास्तविक खेतिहर होने संबंधी सत्यापन विहित प्रपत्र में कृषि समन्वयक/सलाहकार एवं वार्ड सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से निर्गत करने की व्यवस्था कृषि समन्वयक सुनिश्चित करेंगे।

(vi) **जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक जाँच कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी परिस्थिति में जिन कृषकों को फरवरी एवं मार्च माह में हुए फसल क्षति का लाभ मिल गया है, उन्हें अप्रैल में हुए फसल क्षति का लाभ नहीं मिले।**

4.1.1 भूमि से संबंधित कागजात (रैयत के मामले में)।

4.1.2 यह संतुष्ट हो लें कि भूमि के मालिक या वास्तविक खेतिहर दोनों में से किसी एक ने हीं आवेदन किया है।

4.1.3 पति–पत्नी एवं उनके पुत्र/पुत्री जो एक साथ रहते हों, को एक परिवार मानकर उनके द्वारा अलग–अलग आवेदन देने की स्थिति में सब को मिलाकर दो हेक्टेयर से कम आवेदन करते हैं तो उन्हें अलग–अलग लाभ दिया जा सकता है। वशर्ते लाभ का रकबा दो हेक्टेयर से अधिक न हो।

4.2 कृषि समन्वयकों द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।

4.3 अगर कृषि समन्वयकों द्वारा 10 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

4.4 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित सभी आवेदनों की जाँच 3 कार्यदिवस के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करने की अनुशंसा अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी, द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को करेंगे। अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य अपने स्तर से आवश्यक जाँचोपरान्त स्वीकृत आवेदन को भुगतान हेतु राज्य स्तर पर भेजेंगे।

4.5 अगर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 3 कार्यदिवस के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

4.6 अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।

4.7 अगर अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के द्वारा 3 कार्यदिवस के अंदर आवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और

स्वतः आवेदन स्वीकृत होते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित की जायेगा।

4.8 चिन्हित प्रखंडों के पंचायत में कैम्प लगाकर प्राप्त आवेदनों एवं अन्य सम्बन्धित कागजातों की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त किसानों के खाते में राशि का अंतरण किये जाने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

4.9 किसानों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों का अनुदान भुगतान हेतु आवेदन सीधे अग्रसारित होने की स्थिति में संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4.10 ऐसे सभी असत्यापित आवेदन पत्रों की जाँच भुगतान के उपरान्त निश्चित रूप से 15 दिनों के अंदर करा ली जायेगी तथा जाँच के क्रम में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर कार्रवाई एवं उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

4.11 त्रुटिपूर्ण भुगतान, दोहरा भुगतान के मामले पाए जाने पर इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

4.12 बैंक को आवेदन भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।

4.13 जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय–समय पर किसानों को ऑन–लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

4.14 स्थल जाँच के क्रम में किसानों को प्रेरित करने की कार्रवाई करें कि फसल कटनी के बाद पुआल को खेत में न जलायें। इससे होने वाले नुकसान की जानकारी किसानों को देकर जागरूक करायें। किसी भी किसान के द्वारा अपने खेत में पुआल जलाने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे किसान कृषि इनपुट अनुदान के तहत लाभ देने वंचित रखें यानि ऐसे किसान के आवेदन को स्पष्ट कारण बताते हुये अस्वीकृत करने की कार्रवाई करें।

5. अनुश्रवण :

5.1 योजना के अनुश्रवण की जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी की होगी जो साप्ताहिक लम्बित आवेदनों की जाँच एवं योजना की समीक्षा करेंगे।

5.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित की गई अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति प्रभावित क्षेत्रों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी एवं लाभार्थियों की सूची पारित करेगी।

5.3 जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की बैठक यथासम्भव प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाएगी।

5.3.1 संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 7% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.2 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.3 संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.4 संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.5 संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.6 संबंधित जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.7 संबंधित संयुक्त निदेशक(शष्य) प्रमंडल द्वारा प्रत्येक जिले का 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.8 निदेशक, कृषि द्वारा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर जाँच दल गठन कर अनुश्रवण किया जाएगा।

5.3.9 योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी, DBT कोषांग नोडल पदाधिकारी होंगे।

किसान भाईयों/बहनों से अनुरोध है कि सरकार की इस महत्त्वकाँक्षी योजना का लाभ उठायें

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015
दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका संख्याः– मो०–46/20 (सांख्यिकी) 2202 कृ०,पटना दिनांक 22 मई, 2020

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

महत्वपूर्ण

सेवा में,

जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया ।

Govt of Bihar
ectorate of Agriculture

अप्रैल 2020 में 14–27 अप्रैल तक असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अप्रैल 2020 में 14–27 अप्रैल तक असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित 19 जिलों के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब अपर समाहर्ता, साहाय्य/प्रभारी पदाधिकारी, साहाय्य को नामित करते हुए उनका E-mail तथा Mobile No उपलब्ध कराये ताकि उन्हें Login ID एवं Password उपलब्ध कराया जा सके।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2202 दिनांक : 22-05-2020

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2202 दिनांक : 22-05-2020

प्रतिलिपि : सम्बन्धित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष : श्री अरूण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक(सांख्यिकी), बिहार, पटना। (दूरभाष–9431818768)

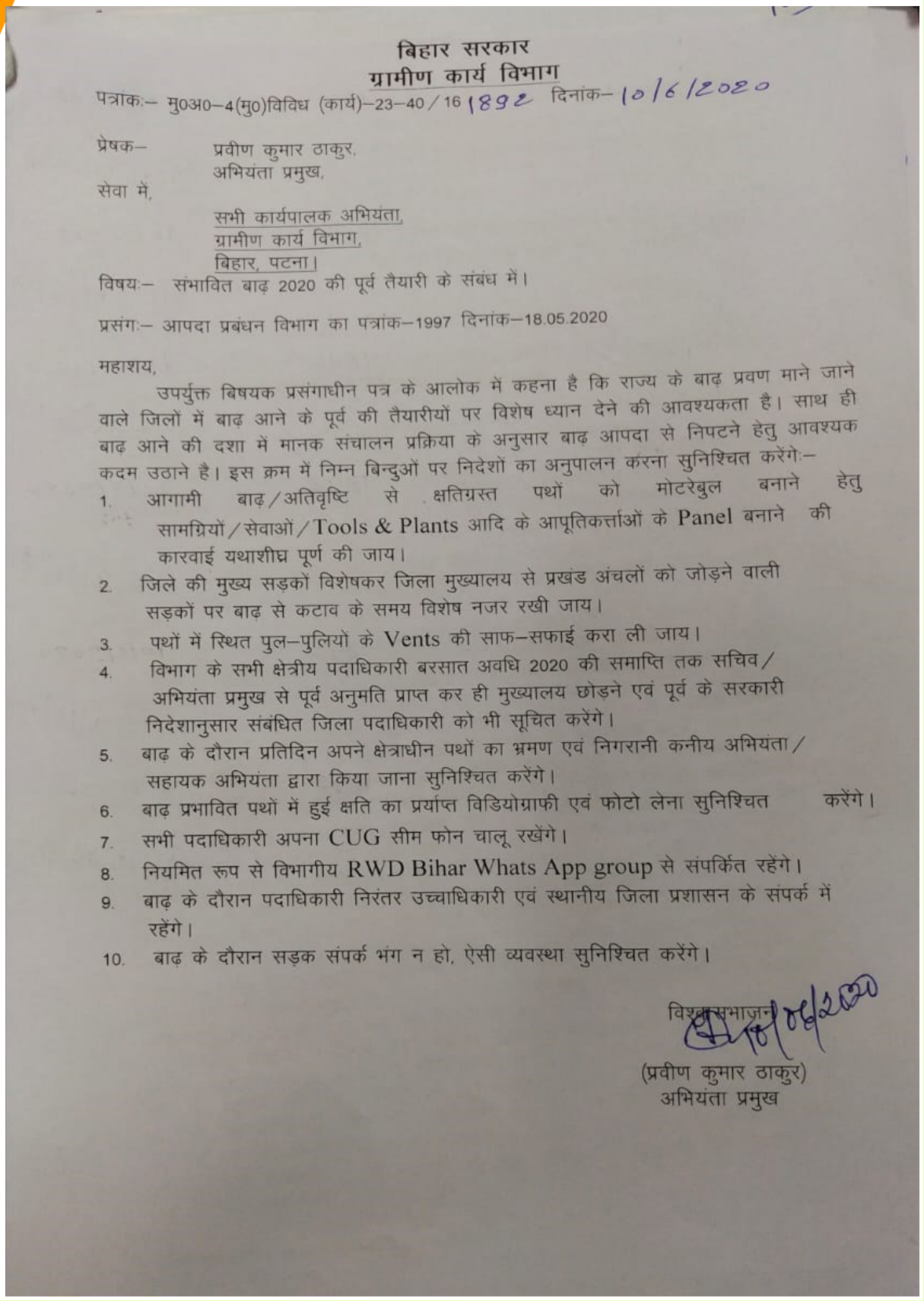

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः— मु0अ0—4(मु0)विविध (कार्य)—23—40 / 16 1892 दिनांक— 10/6/2020

प्रेषक— प्रवीण कुमार ठाकुर,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— संभावित बाढ़ 2020 की पूर्व तैयारी के संबंध में।

प्रसंगः— आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक—1997 दिनांक—18.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त बिषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि राज्य के बाढ़ प्रवण माने जाने वाले जिलों में बाढ़ आने के पूर्व की तैयारीयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने है। इस क्रम में निम्न बिन्दुओं पर निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगेः—

1. आगामी बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल बनाने हेतु सामग्रियों / सेवाओं / Tools & Plants आदि के आपूतिकर्त्ताओं के Panel बनाने की कारवाई यथाशीघ्र पूर्ण की जाय।
2. जिले की मुख्य सड़कों विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों पर बाढ़ से कटाव के समय विशेष नजर रखी जाय।
3. पथों में स्थित पुल—पुलियों के Vents की साफ—सफाई करा ली जाय।
4. विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी बरसात अवधि 2020 की समाप्ति तक सचिव / अभियंता प्रमुख से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ने एवं पूर्व के सरकारी निदेशानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी को भी सूचित करेंगे।
5. बाढ़ के दौरान प्रतिदिन अपने क्षेत्राधीन पथों का भ्रमण एवं निगरानी कनीय अभियंता / सहायक अभियंता द्वारा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. बाढ़ प्रभावित पथों में हुई क्षति का प्रर्याप्त विडियोग्राफी एवं फोटो लेना सुनिश्चित करेंगे।
7. सभी पदाधिकारी अपना CUG सीम फोन चालू रखेंगे।
8. नियमित रूप से विभागीय RWD Bihar Whats App group से संपर्कित रहेंगे।
9. बाढ़ के दौरान पदाधिकारी निरंतर उच्चाधिकारी एवं स्थानीय जिला प्रशासन के संपर्क में रहेंगे।
10. बाढ़ के दौरान सड़क संपर्क भंग न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
10/6/2020
(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in
हमारा बिहार

पत्रांक : ICDS/05020/02-2018 2904 दिनांक : 17/06/2020

प्रेषक,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय: आईसीडीएस अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण एवं बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबन्धित प्रबंधन एवं त्वरित राहत कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बाढ़ आपदा के दौरान प्रबंधन एवं त्वरित राहत की पूर्व तैयारियों के संबंध में निदेश निर्गत किये गये हैं। राज्य में मानसून सक्रिय होने में बहुत ही कम समय बचा है और कोरोना वायरस महामारी का राज्य के सभी जिलों में प्रकोप व्यापक होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ तेज धूप / लू भी परेशानी का कारण बन सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राज्य के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बाढ़ आपदा प्रबंधन के साथ-साथ कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों के आलोक में बाढ पूर्व तैयारी एवं इसके बाद के प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता होगी, इस संदर्भ में निम्नवत दिशा निर्देश अंकित किए जा रहे हैं-

- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के पोषक क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान की जाय जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाये गए हैं, क्योंकि उन पोषक क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
- क्षेत्र भ्रमण के समय सभी पदाधिकारी/कर्मी यथा डीपीओ, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को अपने मुँह–नाक को अच्छी तरह ढकना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए मास्क अथवा गमछा का प्रयोग करेंगी।
- वर्तमान में केन्द्र आधारित गतिविधियाँ अभी बंद है, फिर भी उन सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं उनके पोषक क्षेत्रों की पहचान की जाय जो प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं एवं उस केंद्र की सेवाएँ बाधित होती है जिससे उन केन्द्रों को आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित एवं सुविधाजनक वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके।
- पूर्व में केन्द्र पर संधारित वृद्धि निगरानी चार्ट एवं गृह भ्रमण के दौरान क्षेत्र में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पोषक क्षेत्र में आने वाले सभी कुपोषित एवं अति कुपोषित (MAM और SAM) बच्चों की पहचान कर आपदा पूर्व तैयारी के क्रम में उनकी सूची तैयार कर ली जाये, ताकि आपदा के दौरान उन पर विशेष निगरानी रखी जा सके तथा उनको कुपोषण से होने वाले खतरों से बचाने का प्रबंध किया जा सके। इस हेतु NRC या बच्चा वार्ड में भी उन्हे आवश्यकतानुसार भेजा जा सकता है, इसका ध्यान रखना होगा कि बच्चे में या उसके परिवार में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं रहा है, यदि कोई संक्रमित रहा हो तो ऐसी दशा में इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को अविलंब दी जाय साथ ही उन्हे मोबाईल हेल्थ टीम से समन्वय करा कर जरूरी पोषण एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं दिलायीं जाय।

- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से अतिसंवेदनशील महिलाओं की सूची संभावित प्रसव तिथि के साथ तैयार कर लें ताकि बाढ़ के दौरान उनके सुरक्षित प्रसव हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर सभी संभव प्रबंध एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके। इस हेतु स्थानीय स्तर पर आशा एवं ANM के सहयोग से नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उनका उपचार सुनिश्चित कराया जाय। उपचार या प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में यह ध्यान रखा जाय की कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के सभी उपाय किए गए हों।
- बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में जाने पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के वे सभी उपाय किए जाय जो कोरोना वायरस से बचने के लिए बताये गए हैं यथा- सामाजिक दूरी या व्यक्ति से व्यक्ति की दो गज की दूरी, सभी लोग अपना नाक-मुँह गमछा/ रुमाल/ दुपट्टा से ढँक कर रखें या मास्क का उपयोग करें। किसी को बुखार या खांसी होने पर उसे अलग जगह पर रहने का प्रबंध करें एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। यह भी ध्यान रखा जाय कि लोग कुछ-कुछ अंतराल पर हाथों को साबुन-पानी से धोते रहे तथा यत्र-तत्र न थूकें।
- बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में पेयजल की सुविधा तथा स्वछता हेतु शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाओं के साथ आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं Maternity Hut स्थापित किए जाएँ ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य/मातृत्व सेवाएँ सभी संबन्धित को प्राप्त होती रहें। साथ ही आपदा राहत शिविरों में बच्चों केलिए दूध एवं पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि बाढ़ राहत शिविरों में धात्री माताओं के लिए बच्चों को स्तनपान करने के लिए विशेष सुरक्षित जगह कि व्यवस्था कि जाय जिससे नवजात बच्चों को स्तंनपान करने में सुविधा हो, साथ ही धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार कि सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
- आपदा प्रबंधन विभाग/जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार सामुदायिक रसोई का संचालन किया जाये, इसके लिए कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का प्रयोग किया जा सकता है।
- सेविकाओं द्वारा राहत कार्य शिविरों तथा सामुदायिक रसोई में हाथ धोने, साफ-सफाई, साबुन का प्रयोग आदि व्यवहारों पर विशेष ध्यान देना होगा साथ ही कोई भी कार्य करने से पहले अपने नाक-मुह को ठीक प्रकार से ढँक कर ही करना होगा।
- संचालित किए जा रहे राहत कार्य शिविरों में सेविकाओं द्वारा पौष्टिक आहार (दलिया/ खिचड़ी/ हलवा आदि) तैयार करने में शिविर की महिलाओं को सहयोग देना, जिससे कि कम उम्र के बच्चों को उम्र आधारित आहार खिलाया जा सके।
- कार्यरत आगनबाड़ी केन्द्रों से पूरक पोषाहार को निर्बाध रूप से जारी रखना, साथ ही पोषाहार क्रय एवं रख-रखाव कि आपात योजना तैयार कर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गर्भवती एवं बच्चों का नियमित टीकाकरण करवाना तथा आगनबाड़ी सेविकाओं के पास प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आयरन की गोली का वितरण भी किशोरियों एवं बच्चों के बीच सुनिश्चित किया जाय।
- 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माताओं की विशेष काउंसिलिंग कर स्तनपान एवं ऊपरी आहार को जारी रखने की सलाह लगातार देना।
- पानी घटने के पश्चात पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान आगनबाड़ी केन्द्रों को यथा सीघ्र सुचारु करने के लिए कार्य योजना तैयार कर अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त अकार्यरत आगनबाड़ी केन्द्रों का संलग्न प्रारूप पर आंकलन कर सूची तैयार करना एवं पुनः सेवाएँ बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
- यह सुनिश्चित कराया जाय कि बिना अति आवश्यक कार्य के छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें एवं उन सभी से दूर रखा जाय जिन्हें खांसी या बुखार जैसे लक्षण प्रतीत होते हों।
- कोविड- 19 के कारण अभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों केन्द्र आधारित गतिविधियां बंद है परन्तु सभी लाभूकों को उनके घर पर ही लाभ पहुँचाने की व्यवस्था की जाय। इस समय कोशिश करनी होगी कि कम से कम लोग राहत केन्द्रों पर आयें। यदि लोग अपने घर पर सुरक्षित रह सकते हों वे घर पर ही रहें व उन्हे आंगनबाड़ी से मिलें वाली पत्रतानुसार सभी सुविधायें उनके घर पर उपलब्ध कराई जायें।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा आदि सभी सामाजिक सेवाओं के क्रियान्वयन में संबन्धित विभागों के साथ जिला स्तर पर अभिसरण (Convergence) स्थापित किया जाय, जिससे बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव के कार्यों तथा बाढ़ के उपरांत पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में सभी बुनियादी सेवाएँ समेकित रूप से उपलब्ध हो सके।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने स्तर से बाढ़ के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ एक उन्मुखीकरण किया जाय जो इंटरनेट अथवा विडियो या आडियो प्लेटफार्म के माध्यम से सभी के साथ जोड़ कर किया जा सकता है। इसके लिए यूनिसेफ़ के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अतः आप से अनुरोध है कि आपदा राहत कार्य में अपने स्तर से आगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं तथा सहायिकाओं की यथासंभव सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय तथा कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के आलोक में सभी सावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसके नियमित अनुश्रवण एवं ससमय प्रतिवेदन का प्रेषण सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

12/6/20

निदेशक

आईसीडीएस

प्रतिलिपिः ICDS/05020/02-2018 2904 दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः UNICEF बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

12/6/20

निदेशक

शिक्षा विभाग

विद्यालयों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव करते हुए संभावित बाढ़ के प्रभाव को कम करने हेतु त्वरित कार्रवाई संबंधी निदेषं।

राज्य में मौसम की सक्रियता एवं अत्यधिक वर्षापात से संभावित बाढ़ की आषंका प्रत्येक वर्ष होती है। उक्त के परिपेक्ष्य में यह आवष्यक है कि सभी विद्यालयों एवं उसके पोषक क्षेत्र में रहने वाले बच्चों पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने की दिषा में तत्पर एवं सजग रहकर कार्रवाई किया जाए। इस संदर्भ में सामान्य निदेष निम्न प्रकार है–

- सभी विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों / परिवारों की पहचान कर लिया जाए ताकि आवष्यकतानुसार अगर विद्यालय के षिक्षकों को राहत कार्य अथवा रिलीफ केन्द्र के संचालन की जिम्मेवारी मिलती है तो उन्हें सावधानी बरतने में आसानी हो सके।
- स्थानीय प्रषासन द्वारा अगर विद्यालय के षिक्षकों की प्रतिनियुक्ति क्षेत्र भ्रमण कर राहत कार्य के लिए किया जाता है तो उन सभी को मुँह –नाक ढककर रहना अनिवार्य किया जाए और इसके लिए मास्क अथवा गमछा का उपयोग करना सुनिष्चित कराया जाए। उन्हें हैंड सेनेटाइजर अपने साथ रखने की सलाह दी जाए ताकि नियमित अंतराल पर हाथों को विसंक्रमित कर सके।
- वर्तमान में सभी विद्यालयों में षिक्षण कार्य बंद है फिर भी उन सभी विद्यालयों की सूची तैयार की जाए जो प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण प्रभावित होते है तथा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापकों / सहायक षिक्षकों को बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने हेतु पूर्व की तैयारी सुनिष्चित करा लिया जाए।
- संभावित बाढ़ से प्रभावित होनवाले विद्यालयों के दस्तावेज, आलमारियाँ, डेस्क–बेंच, बक्षें, पठन सामग्रियाँ, उपकरणों एवं उपस्करों आदि को बाढ़ के पानी से सुरक्षित कर लिया जाए।
- सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों / सहायक षिक्षकों को निदेषित किया जाए की वे अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों को प्रेरित करें की प्रत्येक शनिवार को दूरदर्षन के माध्यम से प्रसारित किये जाने वाले सुरक्षित शनिवार को अवष्य देखें प्रत्येक शनिवार को आपदा पूर्व तैयारी, आपदा से बचाव एवं आपदा के दौरान श्क्या करना चाहिए / क्या नहीं करना चाहिए के बारे में जानकारी दी जा रही है।
- कोषिष करनी होगी कि कम से कम लोग राहत केन्द्रों पर आयें, जो यदि अपने घर पर सुरक्षित रह सकते हों वे घर पर ही रहें।
- विद्यालय खुलने की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी विद्यालयों को सेनेटाइज कराया जाए। विद्यालयों को सेनेटाइज करने के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से सहयोग लिया जा सकता है।

संभावित बाढ़ से प्रभावित हो जाने के उपरांत हेतु निदेष–

- संभावित बाढ़ से अगर विद्यालय प्रभावित हो जाए तो बाढ़ से हुए क्षति का त्वरित आकलन किया जाए। आकलन हेतु पत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र– "अ"** का प्रयोग करते हुए प्रखंडवार जिले के सभी प्रभावित विद्यालयों का समेकित प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर निष्चित रूप से भेजा जाए।
- संभावित बाढ़ से प्रभावित विद्यालयों के पोषक क्षेत्र के बच्चे अगर रिलीफ कैम्प में है तो उनके सुरक्षा एवं मानसिक आधात् (मेंटल ट्रॉमा) को ध्यान में रखते हुए रिलीफ कैम्प में तैनात षिक्षकों के द्वारा बच्चों के साथ कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ करायी जाए। साथ ही बच्चों के भोजन, आवासन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, साफ–सफाई एवं स्वास्थ्य पर विषेष निगरानी रखी जाए।
- रिलीफ कैम्प में बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, हैंडवॉष एवं अन्य सुरक्षा मानकों का विषेष रूप से ध्यान रखा जाए। साथ ही अगर किसी बच्चे को खाँसी या बुखार आ रहा हो तो उसे अलग रहने का प्रबंध कराया जाए एवं तदनुसार अपेशित कार्रवाई की जाय। बच्चों को कुछ समय अंतराल पर हाथों को साबुन–पानी से धोते रहने के लिए प्रेरित किया जाए।

संभावित बाढ़ के बाद की स्थिति हेतु निदेष

- बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के उपरांत प्रभावित हो चुके विद्यालयों का पुनः विस्तृत रूप से क्षति का आकलन किया जाए। वृहत रूप से क्षति आकलन हेतु पत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र– "ब"** का प्रयोग करते हुए प्रखंडवार जिले के सभी प्रभावित विद्यालयों का समेकित प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में अविलम्ब साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था और यदि कुछ सामान्य मरम्मति की आवष्यकता हो जैसे– स्वच्छ पेयजल हेतु चापाकलों का क्लोरीनेषन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, चापाकलों की मरम्मति, शौचालयों की मरम्मति, मध्याहन् भोजन बनाने हेतु चूल्हे की मरम्मति आदि अविलंब कराया जाए।
- पठन–पाठन हेतु विद्यालय खुलने पर बाढ़ के उपरांत अगर ऐसी संभावना बनती है कि सं. बंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों को विद्यालय आने–जाने के क्रम में कठिनाई महसूस होने वाली है, जैसे– सड़क टूट गया हो, पुल–पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया हो, रास्ते में जल–जमाव हो आदि के मरम्मति हेतु जिला प्रषासन एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर उसकी मरम्मति करायी जाए।

उपरोक्त के अलावे संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0षि0 एवं समग्र षिक्षा) उक्त निदेषों को विस्तृत रूप से उल्लेखित करने हेतु सभी प्रखंड षिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड साधनसेवियों के साथ एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएं, जिसे इंटरनेट अथवा विडियों या ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी के साथ जोड़कर किया जाए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में यूनिसेफ का सहयोग लिया जा सकता है।